5. पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी नीति वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

2.89 'अविभाजित पर्यवेक्षण, करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की समिति के रूप में रिज़र्व बैंक (बीएफएम) विनियमावली, 1944 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड ने 16 नवंबर 1994 को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया। यह बोर्ड अपनी पर्यवेक्षी भूमिका वित्तीय प्रणाली पर निभाता है जिसमें वाणिज्य और शहरी सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं, एनबीएफसी और प्राथमिक व्यापारी शामिल हैं जिन पर रिज़र्व बैंक का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी अधिकार होता है।

2.90 जुलाई 2005-जून 2006 के दौरान, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 13 बैठकें हुईं। संस्था विशेष के पर्यवेक्षण के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा बनाने के अलावा, उक्त बोर्ड ने अनेक विनियामक और पर्यवेक्षी नीति मामलों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। बोर्ड का ध्यान जोखिम प्रबंध, कंपनी संचालन, समेकित पर्यवेक्षण और समूहों के पर्यवेक्षण पर केंद्रित था। बैंकों में आंतरिक नियंत्रण, आस्ति गुणवत्ता और आंतरिक प्रबंधन में प्रगति की निगरानी का कार्य बोर्ड ने जारी रखा। भारतीय समाशोधन निगम लि. के प्रत्यक्ष निरीक्षण के निष्कर्ष और अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा भी बोर्ड ने की।

2.91 वर्ष के दौरान बोर्ड ने चर्चा करके कार्यान्वयन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निदेश जारी किए। वित्तीय संस्थाओं में प्रत्येक चरण में अच्छे कंपनी संचालन पर बल दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रभावी शेयर धारण या अन्य कारणों से संचालन की चिंता वाले बैंकों को सूक्ष्म निगरानी के अंतर्गत रखा जाए। सरकार को यह भी सुझाव दिया गया कि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए निर्धारित 'सक्षम और उचित दर्जा' से सबंधित दिशानिदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किए जाएं ताकि वे भी 'कंपनी संचालन' के उच्च मानक प्राप्त कर सकें। 'प्रकटीकरण' एक अन्य वह क्षेत्र था जिस पर बोर्ड का ध्यान आकर्षित हुआ। सुदृढ़ और सक्रिय वित्तीय क्षेत्र और मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था की निरंतरता के प्रति बोर्ड की चिंता के परिणामस्वरूप क्रेडिट कार्ड, विलयन, प्रकटीकरण, सेवाओं की आउटसोर्सिंग और बैंकों द्वारा अनर्जक वित्तीय आस्तियों के क्रय/विक्रय पर अनेक महत्वपूर्ण दिशानिदेश जारी किए गए।

2.92 वित्तीय पर्यवेक्षण के प्रति समष्टि दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक को विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच बेहतरीन संतुलन साधने के लिए अपनी विनियामक और मौद्रिक नीति के स्तर को परिष्कृत करने में मदद मिली। उसी समय, बाहरी लेखा परीक्षक, जिन्हें बैंकों के वार्षिक लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षा का दायित्व दिया गया है, का पर्यवेक्षी प्रणाली की विस्तारित सहायता के रूप में उपयोग बढ़ता जा रहा है। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अपेक्षाओं; आय निर्धारण, आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करें। बैंकों द्वारा किए जाने वाले लेनदेनों की निरंतर बढ़ती हुई जटिलता को ध्यान में रखते हुए बैंकों के कारोबारी लेनदेनों की समवर्ती लेखा परीक्षा और 'ऑन लाइन' लेखा परीक्षा के संबंध में दिशा निदेशों की समग्र समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, बोर्ड ने अप्रैल 2006 में एक कार्यदल के गठन का निर्णय लिया जो वाणिज्य बैंकों में वर्तमान समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की गुंजाइश और प्रभावशीलता की जांच करेगा जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षकों की परिधि में जोड़ने/से घटाने के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जो समवर्ती लेखा परीक्षा पर मैनुअल तैयार करने सहित नए दिशानिदेश बनाएगा।

2.93 प्रत्यक्ष निरीक्षण बैंकों की पर्यवेक्षी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की निगरानी में सुधार लाने के उद्देश्य से निरीक्षण प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उसको परिष्कृत किया जाता है (बाक्स II.15)।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति

2.94 अप्रैल 2000 की मौद्रिक एवं ऋण नीति में की गई घोषणाओं के समय से जोखिम आधारित पर्यवेक्षण क्रमिक रूप से प्रारंभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को कवर करने वाले जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के 2003-06 के दौरान प्रारंभिकपरीक्षण के तीन चक्र हो चुके हैं। इन प्रायोगिक अध्ययनों से मिले पाठों के आधार पर जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के कदम उठाए गए थे। जोखिम आधारित प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के प्रायोगिक अध्ययन के दौरान निरीक्षण अधिकारियों की सहायता के लिए एक मार्गदर्शी नोट तैयार किया गया था। इसके अलावा, पुनरावृत्ति / परस्पर व्याप्ति टालने के लिए जोखिम क्षेत्र तर्कसंगत बनाए गए थे। संशोधित टेम्पलेटों में पांच कारोबारी जोखिमों (ऋण, बाजार, परिचलनीय, चलनिधि और समूह), दो नियंत्रण जोखिमों (प्रबंधन और अनुपालन), पूंजी और आय का मूल्यांकन करने के लिए नौ खंड उपलब्ध कराए गए हैं। परिचालनीय और समूह जोखिम, जो पहले वाले माडल में 'अमहत्त्वपूर्ण' जोखिम क्षेत्र थे, को 'कारोबार जोखिमों' के दायरे में लाया गया है जिसे संशोधित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली में काफी वरीयता दी गई है। जोखिम मूल्यांकन की नई पद्धति कारोबार जोखिम के सभी क्षेत्रों के संबंध में अंतर्निहित / नियंत्रण जोखिम क्षेत्रों और देशी /समुद्रपारीय परिचालनों के लिए

बाक्स II.15 : निरीक्षण पद्धति

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुसार रिज़र्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। यह कार्य बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड के मार्गदर्शन में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है।

बैंकों के पर्यवेक्षण का उद्देश्य है उनकी शोध क्षमता, नकदी और परिचालनीय स्थिति का आकलन करना। बैंकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण जो वार्षिक वित्तीय निरीक्षण कहलाता है, वार्षिक रूप से किया जाता है (केवल भारतीय स्टेट बैंक के मामले को छोड़कर जहां यह दो वर्ष में एक बार किया जाता है)। इस प्रयोजन हेतु, निरीक्षण की इकाई बैंक का प्रधान कार्यालय है। प्रधान निरीक्षण अधिकारी (पीआइओ) की अगुआई में निरीक्षण अधिकारियों का एक दल बैंक में जाता है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकतानुरूप कैमेल्स (सीएएमईएलएस) (जिसमें एस प्रणाली और नियंत्रण के लिए है) के रूप में आशोधित कैमेल (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि/नकदी) मॉडल, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाया गया है, के आधार पर बैंक का निरीक्षण करता है। हाल के वर्षों में वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआइ) का फोकस प्रतिभूतीकरण, कारोबार निरंतरता योजना, प्रकटीकरण अपेक्षाओं और अन्य मौजूदा दिशानिदेशों के अनुपालन संबंधी पर्यवेक्षी मुद्दों पर रहा है।

समग्र परिदृश्य जानने के लिए पूरे देश में बैंक की इकाइयों का निरीक्षण प्रधान कार्यालय का निरीक्षण करनेवाले उसी दल द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त दलों द्वारा किया जाता है। ये इकाइयां सामान्यतः खजाना परिचालन, विशेष शाखाएं अथवा शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय हो सकते हैं, जहां मुख्यतः धोखाधड़ियों, अनर्जक आस्तियों और संवेदनशील क्षेत्रों को एक्सपोजर से संबंधित कोई भी समस्याएं हो सकती हैं। बैंक के कार्पोरेट प्रधान कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए समय सीमा दो से तीन माह होती है और निरीक्षण रिपोर्ट को सामान्यतः चार माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाता है।

निरीक्षण पूरा होने के बाद रिज़र्व बैंक का वह क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, उस बैंक को अवलोकनार्थ, सुधारात्मक कार्रवाई हेतु और अनुपालनार्थ निरीक्षण रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद निरीक्षण के निष्कर्षों और आगे की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में उस बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ मुख्य प्रबंध निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के साथ रिज़र्व बैंक एक विशद चर्चा करता है और जहां आवश्यकता पड़े एक निगरानी योग्य कार्य योजना तय करता है और/ या पर्यवेक्षी कार्रवाई की जाती है। निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के साथ बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य प्रबंध निदेशक की प्रतिक्रियाएं बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड के सम्मुख रखी जाती हैं। निरीक्षण के निष्कर्षों और प्राप्त अन्य सूचनाओं (इनपुट) के आधार पर बैंक को एक पर्यवेक्षी रेटिंग दी जाती है।

प्रयास चल रहे हैं कि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण अपनाया जाए जिसमें पर्यवेक्षी संसाधन आबंटित करके बैंकों की निगरानी की जाए तथा प्रत्येक संस्था के जोखिम स्वरूप को देखते हुए पर्यवेक्षी ध्यान केंद्रित किया जाए। इस प्रक्रिया में पर्यवेक्षित संस्था की जोखिमता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उसकी कारोबारी रणनीति और एक्सपोज़रों के सापेक्ष सतत निगरानी और पर्यवेक्षी संस्था में जोखिम प्रबंध प्रणाली की उपयुक्तता के मूल्यांकन का समावेश रहता है।

जोखिमों का अलग-अलग मूल्यांकन करने में पर्यवेक्षकों को समर्थ बनाती है और इस प्रकार क्षेत्र विशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां (इनपुट) उपलब्ध कराती है। यह संशोधित जोखिम रेटिंग ढांचा अंक चालित है। यह पर्यवेक्षी जोखिम आधारित प्रक्रिया को सूक्ष्मग्राही बनाता है (अर्थात् जोखिम के स्तरों का आकलन करना चाहे वह जोखिम ऊपरी सीमा में हो या निचली सीमा में हो) और अलग-अलग बैंकों के लिए विशिष्ट पर्यवेक्षी कार्यक्रम बनाने/ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के संशोधित ढांचे के अंतर्गत 2005-06 में चार बैंकों में प्रत्यक्ष प्रायोगिक अध्ययन (शृंखला में तीसरा) किया गया था।

परोक्ष निगरानी और चौकसी

2.95 रिज़र्व बैंक ने पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के लिए आर्थिक संकट प्रबंधन ढांचे के एक अंग के रूप में और अति संवेदनशील संस्थाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षणों हेतु एक ट्रिगर के रूप में एक अधुनातन परोक्ष निगरानी और चौकसी (ऑसमॉस) प्रणाली स्थापित की है। बैंकों की दक्षता और जोखिम प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को पकड़ने के लिए परोक्ष चौकसी का दायरा और कवरेज बढ़ा दिया गया है।

2.96 बैंकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रारंभ करते समय बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु निरीक्षण अधिकारियों द्वारा ऑसमॉस प्रणाली के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑन लाइन कनेक्टिविटी दी गई है ताकि वे सीधे आंकड़े ले सकें और मानक रिपोर्टें तैयार कर सकें। विनियामक मानदंडों और साथ ही पर्यवेक्षी अपेक्षाओं में आशोधनों के आधार पर ऑसमॉस प्रणाली में 'समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। तुरंत पर्यवेक्षी कार्रवाई योग्य क्षेत्रों का पता लगाने और समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से जून 2005 से बैंकों की सभी श्रेणियों के लिए मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का समय घटाकर 15 दिन और तिमाही विवरणियों के लिए 21 दिन कर दिया गया है। आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक बैंकों के साथ सतत संपर्क में रहता है। ऑसमॉस प्रणाली का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2005-06 में अनेक उपाय शुरू किए गए थे। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल था : (क) प्रणाली के नवीनतम संशोधन, संबद्ध विनियामक परिवर्तनों और विभिन्न विवरणियों में पाई गई सामान्य रिपोर्टिंग भूलों के आलोक में 'परोक्ष विवरणियों संबंधी मार्गदर्शी नोट' का आशोधन और (ख) पूर्व निर्दिष्ट अलग-अलग बैंकों के साथ बैठकें ताकि विवरणियों में की गई भूलें बताई जा सकें और

अवधारणात्मक धुंध दूर की जा सके और उन्हें परोक्ष विवरणियों के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

2.97 इस रिपोर्टिंग प्रणाली की दक्षता प्रौद्योगिकी के अधिक सघन अंगीकरण के माध्यम से भी बढ़ाई जा रही है (बॉक्स II.16)।

धोखाधड़ी की निगरानी

2.98 वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ियों पर निकट से निगरानी रखने के लिए रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में 1 जून 2004 को अलग से एक धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (एफआरएमसी) गठित किया गया। धोखाधड़ी होने की सूचना समय पर मिलने से पर्यवेक्षक को इसकी जानकारी बिना समय गवाएं अन्य सत्ताओं को देने में मदद मिलती है, जिससे धोखेबाजों को धोखाधड़ी की तैयारी करने से रोकने में सहायता मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए 2003 में धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली (एफआरएमएस) शुरू की गई ताकि धोखाधड़ी से संबंधित डाटा की रिपोर्ट बैंक इलैक्ट्रानिक रूप में कर सकें। आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग सरीखी विभिन्न श्रेणियों की धोखाधड़ियों को सूक्ष्म रूप से जानने - समझने के लिए एफआरएमएस पैकेज को जनवरी 2006 में संशोधित किया गया ताकि धोखाधड़ी की बढ़ रही प्रवृत्तियों वाले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और अधिक संवेदनशील क्षेत्रों पर सत्ताएं अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। बैंकों ने धोखाधड़ी के जिन मामलों और राशि की रिपोर्ट की है उनमें 2005-06 में काफी वृद्धि हुई है। धोखाधड़ी में हुई तेज वृद्धि का एक मुख्य कारण है आवास ऋण धोखाधड़ी में आई तेजी। 2005-06 में वाणिज्य बैंकों ने 13, 914 धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट की जिनमें 1,381 करोड़ रुपए फंसे थे जबकि 2004-05 में 10,450 मामलों में 779 करोड़ रुपए फंसे थे। आवश्यक निवारात्मक कार्रवाई के लिए बैंकों के साथ इन मामलों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

2.99 बिल वित्तपोषण और बट्टे पर चेक भुनाई समेत विशेषतः कार्यशील पूंजी वित्त के साथ सामान्यतः धोखाधड़ियां ऋण के क्षेत्र में ही होती है। उधारकर्ताओं द्वारा सामान्यतः जो कार्यप्रणाली अपनाई जाती हैं उनमें है बंधक रखे शेयरों को गुप्त रूप से हटाना, समायोजनात्मक प्रकृति के झूठे/बेनामी बिलों का आहरण और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में संपदा से संबंधित झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना। तथापि, पिछले दो-तीन वर्षों में आवास वित्त के क्षेत्र में बृहद स्तर पर धोखाधड़ियों की रिपोर्ट की गई है और एक ही संपदा पर कई न्यायसंगत बंधक दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों को प्रस्तावित कर दिए गए हैं। आवास वित्त क्षेत्र की धोखाधड़ियों का विश्लेषण करने पर पता चला कि उधारकर्ताओं ने संपत्ति के झूठे/जाली स्वत्व विलेख, वेतन प्रमाणपत्र, आयकर विवरण प्रस्तुत किए हैं। उधारकर्ताओं /बिल्डर्स की तत्परता से जांच करने में ढिलाई, प्रोजेक्ट साइट का अनुमोदन से पूर्व दौरा करने की प्रणाली न होना और वितरण के पश्चात पर्यवेक्षण में कमी आदि अन्य कारक थे।

2.100 जहां तक कई न्यायसंगत बंधक दस्तावेज तैयार करने का सवाल हैं तो भार की स्थिति के साथ-साथ संपत्ति के स्वत्व विलेख की जांच के बारे में बैंक अक्षम हैं क्योंकि वर्तमान में कोई ऐसी संस्थागत प्रणाली नहीं है जहां से केंद्रीकृत रूप से बैंक संपत्ति विशेष

बाक्स II.16 : आन लाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली

रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों और अन्य बाहरी एजेंसियों से अनेक विवरणियों के माध्यम से आंकड़े प्राप्त करता है। कुछ विवरणियां तो सांविधिक हैं जबकि अन्य विवरणियां विशेष सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई हैं । मूलतः अधिकांश विवरणियां कागज आधारित थीं। हाल ही में रिज़र्व बैंक ने कुछ विवरणियां फ्लॉपियों के माध्यम से अथवा ई-मेल से सॉफ्ट कापी में प्राप्त करना प्रारंभ किया है। बैंकों से विवरणियां प्राप्त करने की पद्धति में एकरूपता लाने के उद्देश्य से ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली दो चरणों में कार्यान्वित की गई थी।

कार्यान्वयन का प्रथम चरण जिसके अगस्त 2006 में पूरा होने की संभावना है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म ए विवरणी (सांविधिक) ओआरएफएस के अधीन लाई गई है तथा प्रणाली में शामिल करने के लिए पंद्रह अतिरिक्त विवरणियां ली गई हैं। दो वर्ष की अवधि में रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त की जानेवाली सभी विवरणियां ओआरएफएस के अंतर्गत लाई जाएंगी जिसमें इन विवरणियों का यौक्तिकीकरण भी शामिल है। आशा है कि ओआरएफएस रिज़र्व बैंक और बैंकों के बीच आंकड़ा संप्रेषण के एक अकेले इंटरफेंस के रूप में उभरेगा। आन लाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली से बैंकों को आसानी से उपयोग करने योग्य इंटरफेस मिलता है और रिज़र्व बैंक को स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग (एसटीपी) माहौल मिलता है। ओआरएफएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i) ओआरएफएस में उपस्थित सुरक्षित वेबसर्वर तथा एमक्यू सीरिज की विशेषताओं के चलते एंड-टू-एंड सुरक्षित डाटा ट्रांसमिशन संभव हो सका है; (ii) बैंकों को कोई अतिरिक्त हार्डवेयर या साफ्टवेयर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंक रिज़र्व बैंक के वेब सर्वर (इन्फीनेट या इंटरनेट के माध्यम से) में लॉग-इन करके इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, और (iii) बैंकों का अधिप्रमाणन स्वतः हो जाता है क्योंकि रिज़र्व बैंक के सुरक्षित डाटा सर्वर में लॉग-इन करने के लिए यूजर-आइडी तथा पासवर्ड जरूरी होता है; (iv) ऑन लाइन डाटा प्रविष्टि की सुविधा है तथा बैंकों की कंप्यूटर प्रणाली की एक्सएमएल फाइलों से डाटा सीधे ही अपलोड किया जा सकता है; (v) आन-स्क्रीन प्रमाणीकरण जांच के माध्यम से डाटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना: (vi) रिज़र्व बैंक को डाटा ट्रांसमिट करने से पहले इसे एडिट /प्रिंट/सेव रखने की सुविधा ताकि बैंक भविष्य में अपने प्रयोग के लिए प्रिंट आउट तथा साफ्ट कापी को सुरक्षित रख सकें ; (vii) डाटा की केंद्रीकृत प्राप्ति सुरक्षित वेब सर्वर में प्राप्त डाटा सभी संबंधित यूजर विभागों को भेजा जाता है; और (viii) भेजने वाले बैंक को डाटा प्राप्ति की आटोमैटिक पावती।

के ऋण भार (न्यायसंगत बंधक दस्तावेज) के अस्तित्व की जांच कर सकें। इस समस्या से निबटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार की जानकारी में यह तथ्य लाया कि बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अचल संपत्ति पर ऋण प्रभार लगाने के लिए इसके अभिलेखों का रखरखाव केंद्रीय स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है ताकि उधारदाता संस्थान जमानत के रूप में अचल संपत्ति स्वीकार करने से पहले आवश्यक कार्रवाई कर सकें। तथापि, इस संबंध में बहुत ही कम राज्य सरकारों ने कार्रवाई की है।

2.101 इस वर्ष प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आइपीओ) के मामलों में भी अनियमितताएं उभर कर सामने आई हैं। सेबी के निरीक्षणों के निष्कर्षों से रिज़र्व बैंक को ज्ञात हुआ कि कुछ बैंकों की शाखाओं में भी ये अनियमिताएं की गई हैं। आइपीओ प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया गया और निक्षेपागार सेवा प्रदाताओं की मिलीभगत से आइपीओ के खुदरे हिस्से को एक किनारे लगाकर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। केवाईसी मानकों/शोधन निवारण (एएमएल) मानकों के दिशानिदेशों और अनुदेशों, खाते खोलना, बड़े लेनदेनों की निगरानी और आइपीओ वित्तपोषण या /और शेयरों के प्रति ऋण के बारे में रिज़र्व बैंक के निदेशों की पूर्ण अवहेलना के परिणामस्वरूप ये घोटाले हुए। इन अनियमितताओं के उभरने के बाद रिज़र्व बैंक ने प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाई (बॉक्स II.17)।

2.102 किसी संस्था के कर्मचारियों द्वारा जनहित में सूचना के प्रकटीकरण को सार्वजनिक संस्थानों के कार्यों में बेहतर संचालन मानक और ईमानदारी/ पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सार्वजनिक निकायों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होना बढ़ता जा रहा है। विश्व भर में बड़ी मात्रा में कंपनी धोखाधड़ियों के कारण अमरीका में

बॉक्स II.17 : आइपीओ अनियमितताएं और बैंकों की संलिप्तता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विभिन्न कंपनियों के आइपीओ में खुदरा निवेशकों के लिए शेयरों के खुदरा आबंटन की पात्र सीमा निर्धारित की है। इस सीमा से अधिक शेयर प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्ति /कंपनियां निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) के साथ मिलकर तथा बैंकिंग सुविधाओं का दुरुपयोग करके कई ओवदन करते हैं। आइपीओ प्रक्रिया का दुरुपयोग तथा उक्त प्रयोजनार्थ बैंकिंग सुविधाओं संबंधी धोखेबाजी के संबंध में सेबी ने रिज़र्व बैंक को 16 दिसंबर 2005 को सूचित किया था। रिज़र्व बैंक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सेबी के आदेश में उल्लिखित बैंकों अर्थात भारत ओवरसीज़ बैंक लि. और विजया बैंक की अहमदाबाद तथा मुंबई शाखाओं की 16 दिसंबर 2005 को जांच शुरू की। उक्त जांच से मिली दिशा के आधार पर अन्य बैंकों की संवीक्षा की संवीक्षा भी शुरू की गई।

उक्त संवीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर और बैंकों की भूल-चूक की सीमा को ध्यान में रखते हुए अब तक दस बैंकों अर्थात भारत ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, विजया बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक, आईडीबीआई बैंक लि., और सेंचूरियन बैंक ऑफ पंजाब पर 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक के दायरे में दंड लगाया गया। यह दंड विभिन्न बैंकों में पाई गई अनियमितताओं की सीमा तथा उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और भारतीय वित्तीय क्षेत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 ए (1)(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। कुछ बैंकों के मामले में बैंक अधिकारी भी संलिप्त पाए गए।

रिज़र्व बैंक द्वारा की गई जांच के दौरान पाई गई ये अनियमितताएं प्रणालीबद्ध या व्यापक स्वरूप की नहीं थीं। कुल 89 बैंकों में से केवल 10 बैंक और 71,000 से अधिक शाखा नेटवर्क में से 22 शाखाएं ही इन अनियमितताओं में संलिप्त थीं। ऐसे सभी मामलों में बैंकों से कहा गया है कि वे इसमें संलिप्त बैंक अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस/ सीबीआई के पास मामले दायर करने सहित दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें।

आईपीओ प्रक्रिया के दुरुपयोग से संबंधित अनियमितताओं का पता चलते ही सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे आईपीओ के वित्तपोषण की समीक्षा करें। सभी बैंकों ने समीक्षा पूरी करने की पुष्टि की है। अधिकतर बैंकों ने सूचित किया है कि कोई गंभीर अनियमितताएं नहीं पाई गईं। उन बैंकों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है जहां कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं।

संलिप्त अधिकतर बैंकों में आईपीओ प्रक्रिया में चालबाजी संभव होने का कारण सतर्कता प्रणाली की असफलता या रिपोर्टिंग प्रणाली और आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की दुर्लबलता जैसी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों तथा क्रियाविधियों की दुर्लबलता था जिससे वे अनियमितताओं का पता लगाने में असफल रहे। रिज़र्व बैंक ने इन क्षेत्रों की विस्तृत जांच आरंभ की और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु यह मामला बैंकों के उच्च प्रबंध तंत्र के साथ उठाया है। अन्य बैंकों को भी कमियों को दूर करने की सलाह देते हुए इस विसंगतियों के बारे में सजग किया गया। लेखा परीक्षा तथा उसके अनुपालन, बोर्ड निरीक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण और शैक्षिक पहलुओं के महत्व का बैंकों को पुनः स्मरण कराया गया।

इसके अतिरिक्त, कुछ व्यक्तियों/कंपनियों द्वारा किए गए आइपीओ प्रक्रिया के दुरुपयोग में यह पाया गया था कि कुछ बैंकों ने निक्षेपागार सहभागियों के संबंधितों के अनुरोध पर खाते में देय चेकों की आगम राशियां संबंधित आदाताओं के खातों के बदले वैयक्तिक तीसरे पक्ष के खातें में जमा की थी। बैंकों ने यदि खाते में देय चेकों की वसूली संबंधी क्रियाविधि का पालन किया होता तो यह चालबाजी सफल नहीं हुई होती। तदनुसार, 'खाते में देय' चेकों को उस पर लिखे गए आदाता के नाम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने को प्रतिबंधित करते हुए बैंकों को एक निदेश जारी किया गया है।

'अपने ग्राहक को जानिए' के दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना भी अनियमितताएं उत्पन्न होने का एक कारण था, अतः 'अपने ग्राहक को जानिए' के दिशा निर्देशों और 'एएमएल'मानकों पर पुनः जोर दिया गया और अनुपालन की तारीख को 31 मार्च 2006 तक बढ़ाया गया। बैंकों को 15 फरवरी 2006 को यह भी सूचित किया गया कि 'अपने ग्राहक को जानिए' और 'एएमएल' उपायों संबंधी उचित नीतिगत ढांचा बनाकर लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों ने अनुपालन सूचित किया है।

ब्विसलब्लोअर प्रोटेक्शन ऐक्ट, इग्लैंड में पब्लिक इन्टरेस्ट डिस्क्लोजर ऐक्ट और कुछ अन्य देशों में समान अधिनियम के माध्यम से जनहित की रक्षा के लिए विभिन्न विधायी उपाय आवश्यक हो गए।

2.103 भारत के संदर्भ में, भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को एक संकल्प पारित किया जिसमें लिखित शिकायतें या भ्रष्टाचार की किसी शिकायत पर प्रकटन या कार्यालय के दुरुपयोग की सूचना प्राप्त करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए 'पदनामित एजेंसीट के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार को केंद्र सरकार या उसके द्वारा या किसी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम और साथ ही सरकारी कंपनियों, समितियों अथवा केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित रखा गया है। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और रिज़र्व बैंक भी भारत सरकार के संकल्प की परिधि में हैं।

उधारकर्ताओं की ऋण सूचना

2.104 वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. को सूचित किया गया था कि वह उचित ऋण अभिलेखों की प्रणाली विकसित करने के लिए रिज़र्व बैंक, सिडबी और आईबीए के साथ विचार-विमर्श करके एक तंत्र तैयार करे ताकि बैंक छोटे तथा मध्यम उद्यमों को ऋण देते समय ऋण का उचित मूल्य निर्धारित कर सके। भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. वर्तमान में अपने प्रौद्योगिकी साझेदार, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इन्फॉरमेशन सर्विसेज इंडिया (प्रा.) लि. (डीएंडबी) के सहयोग से हल निकालने की प्रक्रिया में है जिसमें लघु तथा मध्यम उद्यमों का डाटा अलग करने की भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. की वर्तमान प्रणाली को संशोधित करने या भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. और डीएंडबी दोनों के डाटाबेस से सूचना प्राप्त करने लिए अलग प्रणाली तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. ने आइबीए, सिडबी और रिज़र्व बैंक के साथ चर्चा आयोजित की है। छोटे तथा मध्यम उद्यमों संबंधी प्रस्तावित हल समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जिसमें छोटे तथा मध्यम उद्यमों के ऋण संबंधी डाटा, छोटे तथा मध्यम उद्यमों के विक्रेता भुगतान संबंधी डाटा और समेकित छोटे तथा मध्यम उद्यम स्कोर शामिल होंगे। विधिक तंत्र को मजबूत बनाने और बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं संबंधी ऋण सूचना इकट्ठा करने, उस पर प्रक्रिया करके उसे बांटना सरल बनाने की दृष्टि से मई 2005 में ऋण सूचना अधिनियम पारित किया गया। तत्पश्चात, रिज़र्व बैंक ने 5 अप्रैल 2006 को प्रतिसूचना हेतु अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों का ड्राफ्ट जारी किया। इस पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर ड्राफ्ट नियमों और विनियमों को संशोधित किया गया और भारत सरकार के साथ सलाह करके उन्हें शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।(ब्योरों के लिए खंड 11 देखें)।

बैंकों में अनुपालन कार्य

2.105 अप्रैल 2005 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति ने बैंकों में अनुपालन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए 'बैंकों में अनुपालन और अनुपालन कार्य' नामक एक पत्र प्रकाशित किया। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने अनुपालन जोखिम को 'विधिक या विनियामक निर्बंधों, मूर्त वित्तीय हानि, या ऐसी हानि जिसमें बैंक अपनी बैंकिंग गतिविधियों पर कानूनों, विनियमों, नियमों, संबंधित स्व-विनियामक संस्थान मानकों और आचार संहिता (अनुपालन कानूनों, नियमों तथा मानकों सहित) के अनुपालन में अपनी असफलता के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा खो सकता है, की जोखिम के रूप में परिभाषित किया है। परिणामस्वरूप, बैंकों में वर्तमान संगठनात्मक ढांचे और अनुपालन तंत्र, वर्तमान प्रणाली की कमजोरियां, अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा सर्वोत्तम व्यवहारों की समीक्षा करने के लिए तथा बैंकों में सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली स्थापित करने की दृष्टि से सिफारिशें करने के लिए बैंकों के कुछ अनुपालन अधिकारियों को शामिल करते हुए एक कार्यदल गठित किया गया था।

6. वित्तीय बाजार

2.106 बेहतर विकसित वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति को प्रभावी रूप से संचालित करने और संसाधनों के प्रभावी संवितरण को सुधारने में केंद्रीय बैंक को सक्षम बनाता है। बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर अन्य वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य निर्धारण को सुविधाजनक बनाता है। अतः रिज़र्व बैंक अपनी विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय बाजारों के सभी खंडों का विकास करने के प्रयास करता आ रहा है। यह लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के आधार पर लेनदेनों पर प्रतिबंधों को शिथिल करके लेनदेन लागत कम करके, बाजार के विस्तार और गहनता को बढ़ाकर और व्यापार और निपटान प्रणाली प्रारंभ करके प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में सुधार करने के साथ-साथ वित्तीय बाजार के विभिन्न खंड उचित रूप से कार्य करे यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय बाजारों का संगठनात्मक ढांचा मजबूत बनाने लिए 2005-06 के दौरान कई उपाय किए गए। विशेष रूप से 2005-06 के दौरान की नीतिगत पहलें राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध विधेयक (एफआरबीएम) के उपबंधों द्वारा दिशा निदेशित थीं। उक्त विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2006 से रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। इससे सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गम पूर्णतः बाजार आधारित करने का कार्य पूरा हो गया है जो 1990 की शुरुआत में नीलामियां आरंभ करके शुरू किया

गया था। एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन से उभरते हुए परिदृश्य में नए लिखत लाने और वर्तमान लिखतों में सुधार करने सहित रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों की समीक्षा करना जरूरी हो गया है। तदनुसार, (i) मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों में रिज़र्व बैंक के परिचालनों की कार्य कुशलता बढ़ाने; और (ii) मौद्रिक प्रबंध से ऋण प्रबंध के कार्यात्मक विभेद की ओर बढ़ने को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2005 में रिज़र्व बैंक में वित्तीय बाजार विभाग का गठन किया गया। इसके अलावा, संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति ने वित्तीय बाजारों के सुदृढ़ विकास के लिए हाल ही में कुछ सिफारिशें की हैं (बॉक्स II.18)।

मुद्रा बाजार की गतिविधियां

2.107 अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र की मौद्रिक नीति का सार संप्रेषित करने का मुख्य माध्यम मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार के विकास के लिए व्यापक नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें अल्पावधि ब्याज दरों में स्थिरता सुनिश्चित करना, चूक संबंधी जोखिम को कम करना और बाजार के विभिन्न खंडों के संतुलित विकास के प्रयास शामिल हैं। मुद्रा बाजार पर आंतरिक तकनीकी दल की सिफारिशों (मई 2005) के अनुसरण में रिज़र्व बैंक संपार्श्विक खंड के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है, रुपया आय वक्र का विकास कर रहा है, पारदर्शिता और बेहतर मूल्य निर्धारण को सुधार रहा है और बेहतर जोखिम प्रबंधन के अवसर उपलब्ध करा रहा है। मांग /सूचना मुद्रा बाजार को शुद्ध रूप से अंतर बैंक बाजार में रूपांतरित करने की प्रक्रिया अगस्त 2005 में पूरी हो गई। यह कार्य रिज़र्व बैंक के बाहर रेपो बाजार के विकास और सीबीएलओ के कारण सरल हुआ है जिसमें बैंकेतर सहभागियों को उनके अल्पावधि असंतुलनों को चलनिधि में समायोजित करने की अनुमति दी जाती है। मुद्रा बाजार का सुदृढ़ विकास सुनिश्चित करने के लिए मांग /सूचना मुद्रा बाजार के सहभागी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के उधारों और ऋणों पर विवेकसम्मत सीमाएं लगाई गईं।

2.108 वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में मांग /सूचना और मीयादी मुद्रा बाजार (एनडीएस-कॉल) में लेनदेन के लिए अनुवीक्षण-आधारित परक्राम्य भाव बोली प्रणाली भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) द्वारा विकसित की गई और 18 सितंबर 2006 को उसे स्थापित किया गया। एनडीएस-कॉल आरंभ होने से पारदर्शिता बढ़ने, मूल्य निर्धारण सुधरने और बाजार का व्यष्टि ढांचा मजबूत होने में मदद मिलेगी।

2.109 वर्ष 2005-06 के दौरान की उल्लेखनीय गतिविधि यह थी कि मुद्रा बाजार गतिविधियां बड़ी मात्रा में गैर संपार्श्विक मांग मुद्रा खंड से संपार्श्विक बाजार रेपो तथा सीबीएलओ खंडों में अंतरित हो गईं। प्रभावशाली और पारदर्श क पद्धति से चलनिधि स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु बाजार सहभागियों को समर्थ बनाने के लिए मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंड के लेनदेनों संबंधी सूचना को अप्रैल 2006 से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी डाला जा रहा है।

2.110 उभरती हुई स्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक चलनिधि स्थितियों को अनुकूल बनाता रहता है। चलनिधि प्रबंधन को सुसंगत बनाने के लिए दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा को चलनिधि समायोजन सुवधिा जैसी विशेषताओं के साथ 28 नवंबर 2005 से परिचालित किया गया। 31 मार्च 2006 को वर्ष के अंत में रिपोर्टिंग शुक्रवार आने के कारण बैंकों के निधि प्रबंध को सरल बनाने के लिए 31 मार्च 2006 को एक अतिरिक्त समायोजन सुविधा संचालित की गई थी।

2.111 जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 29 अप्रैल 2005 से 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई थी ताकि जमा प्रमाणपत्रों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि को बैंकों के पास मीयादी जामारशियों के अनुरूप बनाया जा सके। पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार को सुगम बनाने की दृष्टि से वाणिज्यिक पत्रों से संबंधित सूचनाएं यथा निर्गम तिथि, परिपक्वता तिथि, निर्गम राशि, बट्टा / ब्याज दर, बिनाशर्त और अटल गारंटी तथा गारंटीदाता की क्रेडिट रेटिंग जैसी कि एनडीएस प्लेटफार्म के निर्गमकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंटों द्वारा रिपोर्ट की गई हैं, 1 जुलाई 2005 से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।

सरकारी प्रतिभूति बाजार की गतिविधियां

2.112 सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में सरकारी ऋण की लागत घटाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों हेतु एक गहन और अर्थसुलभ बाजार का होना रिज़र्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण है। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिक सरकारी लिखत खरीदने के लिए रिज़र्व बैंक पर प्रतिबंध है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी प्रतिभूति बाजार को और गहन तथा व्यापक बनाने के लिए 2005-06 में अनेक कदम उठाए गए। इन पहलों में शामिल था : सरकारी प्रतिभूतियों में मंदड़िया बिक्री की अनुमति; व्हेन इश्यूड बाजार का प्रारंभ, सरकारी प्रतिभूतियों का सक्रिय समेकन का प्रस्ताव करना, प्राथमिक निर्गम को समर्थन देने के लिए प्राथमिक व्यापारियों को पहले से अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करना, एनडीएस-आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्रणाली चालू करना, मानकीकृत टी+1 निपटान प्रणाली अपनाना और नीलाम किए गए स्टॉक को उसी दिन बेचने में ग्राहकों को सक्षम बनाना।

बॉक्स II.18 : वित्तीय बाजारों का विकास -संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति की सिफारिशें

संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर बढ़ने के इच्छुक देशों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विभिन्न बाजार खंड, भौतिक बुनियादी ढांचे, निपुणता और सक्षमता स्तरों सहित सुसंघटित होने चाहिए। यदि बाजार खंडित रहते हैं, तो किसी नीतिगत आघात का प्रभाव बाजार के विभिन्न खंडों तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे नीति का परिणाम अप्रभावी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, बाजार की खंडितता ब्याज दरों के मीयादी ढांचे के विकास में बाधाएं डालती है जिससे मौद्रिक नीति के संचालन में मदद मिलती है। संपूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति ने वित्तीय बाजार के सुदृढ़ विकास के लिए निम्नवत् सिफारिशें की हैं।

(क) मुद्रा बाजार

- पूंजी अंतर्वाहों को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकसम्मत विनियमों को मजबूत बनाया जाए।
- शीर्ष विनियामक द्वारा आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
- रेपो बाजार में पहुँच की अधिक सहभागियों को अनुमति दी जाए।
- सीबीएलओ और रेपो बाजारों को कंपनी ऋण लिखतों के समावेशन की अनुमति दी जाए।
- अंतर बैंक मीयादी मुद्रा बाजार को विकसित करने हेतु कार्य कुशलता को अद्यतन किया जाए।
- सीपी और सीडी की विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की जाएं क्योंकि उनके असीमित खुले रहने का परिणाम अल्पावधि निधि प्रवाहों पर होगा।
- रिज़र्व बैंक के भीतर एक विशेष कक्ष बनाया जाए, जो सभी व्युत्पन्नी उत्पादों की सूक्ष्म निगरानी करेगा।
- बैंकों को जटिल व्युत्पन्नों की मार्केटिंग करने से पहले 'उपयुक्त नीति' बनानी चाहिए।
- ब्याज दर वायदा बाजार में को क्रियाशील बनाया जाए और ब्याज दर विकल्पों को अनुमति दी जाए। प्रारंभ में, विकल्पों को ओटीसी व्युत्पन्नों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा बाद में उनका शेयर बाजार में लेन-देन किया जा सकेगा।
- स्वैप बाजार खोलने से पहले व्युत्पन्नी लेन-देनों की निवलता संबंधी प्रावधान किया जाए।
- व्युत्पन्नों के लेखांकन मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनाए जाए ।
- नीतिपरक बाजार और व्यापार मानकों के विकास के लिए स्व-विनियामकी संस्था के रूप में कार्य करने हेतु तथा सूचना प्रसारित करने के अलावा सहभागियों के विनियमन संबंधी कार्य करने के लिए नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ को उचित अधिकार दिए जाएं।

(ख) सरकारी प्रतिभूति बाजार

- बाजार हेतु निर्धारित क्षेणी का हिस्सा क्रमिक रूप से बढ़ाया जाए।
- शॉर्ट-सेलिंग अक्रॉस सेटलमेंट साइकिल को पर्याप्त सुरक्षा के साथ अनुमति दी जाए।
- गिल्ट में खुदरा निवेश को प्रेरित करने के लिए उसे लाभांश संवितरण कर से छूट दी जानी चाहिए और गिल्ट में प्रत्यक्ष निवेश की आय को एक सीमा तक कर से छूट दी जा सकती है।
- सरकारी प्रतिभूति में स्ट्रीप्स को शीघ्रता से आरंभ किया जाए।
- निवेशक आधार बढ़ाने के लिए अनिवासी निवेशकों, विशेष रूप से दीर्घावधि निवेशकों को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।
- सभी बाजार सहभागियों को किसी प्रतिबंध के बिना अनुमति देते हुए सरकारी प्रतिभूति में रेपो सुविधा को व्यापक बनाया जाए।
- कर-तटस्थ तीव्र ऋण समेकन प्रक्रिया आरंभ की जाए।
- सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा को 2006-07 के दौरान केंद्र और राज्यों के कुल सकल निर्गमों के 6 प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है और उसे क्रमिक रूप से बढ़ाकर 2007-08 और 2008-09 के बीच 8 प्रतिशत तथा 2009-10 और 2010-11 के बीच 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इन सीमाओं को पिछले वर्ष की सकल निर्गम से संबंधित सीमा से जोड़ा जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 100 प्रतिशत ऋण निधियों और अन्य विदेशी संस्थागत निवेशकों के बीच की सीमा के निर्धारण को समाप्त किया जाना चाहिए।

(ग) विदेशी मुद्रा बाजार

- पिछले निष्पादन / विचाराधीन ऋण जोखिमों संबंधी बाधाओं को हटाते हुए हाजिर और वायदा बाजारों को उदार बनाया जाना चाहिए और सभी सहभागियों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।
- विदेशी मुद्रा कारोबार को उधार देने के कार्यों से अलग किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म स्थापित किया जाना चाहिए जिस पर लघु तथा मध्यम ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेनों को आरंभ किया जा सकेगा । समिति ने बहुत बड़े व्यापारों के लिए स्क्रीन बेस्ड निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम का प्रस्ताव किया है।
- विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक का हस्तक्षेप गुमनाम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के माध्यम से होगा।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप ब्याज समानता लाने के लिए बैंकों के लिए विदेशी अल्पावधि और दीर्घावधि उधार/ऋण की सीमाएं बढ़ाई जाएं।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को रुपया ऋण जोखिमों की प्रतिरक्षा के लिए बुक किए गए अन्य व्युत्पन्नों और वायदा संविदाओं को रद्द करने और उनकी पुनः बुकिंग करने की सुविधा प्रदान की जाए।
- मुद्रा वायदे आरंभ किए जाएं बशर्ते कि जोखिम को उचित व्यापार तंत्र, संविदाओं के ढ़ांचे तथा विनियामक वातावरण के माध्यम से नियंत्रित किया जाए ।
- सीसीआइएल के वर्तमान गारंटीकृत निपटान प्लेटफार्म को वायदा बाजार तक बढ़ाया जाए।
- बैंकिंग क्षेत्र को किसी मौद्रिक सीमा के बिना क्रय और विक्रय द्वारा मुद्रा की अदला-बदली की प्रतिरक्षा की अनुमति दी जाए।

2.113 सरकारी प्रतिभूति बाजार विकसित करने के अपने दीर्घावधि उद्देश्य के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2002 में तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) प्रारंभ की। तथापि, एनडीएस (तयशुदा और भाव बोली (कोट) संचालित दोनों ही) की ट्रेडिंग सुविधाओं का बहुत कम उपयोग किया गया जिसका मुख्य कारण उनका उपयोग - सुगम कम होना था। सरकारी प्रतिभूतियों में स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग के संबंध में गठित कार्यदल (अध्यक्ष :डॉ.आर.एच.पाटिल) की सिफारिशों के अनुसार एनडीएस के सदस्यों को और ज्यादा आधुनिक

तथा दक्ष ट्रेडिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अगस्त 2005 से एनडीएस - ओएम ट्रेडिंग माड्यूल की शुरुआत की गई।

2.114 बाजार सहभागियों को और ज्यादा प्रोसेसिंग समय देने और इस प्रकार निधियों और जोखिमों दोनों का ही बेहतर प्रबंध करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 11 मई 2005 से सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निपटान चक्र मानकीकृत करके टी+1 बना दिया गया। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो बाजार को और अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से 11 मई 2005 से सूचीबद्ध कंपनियों और गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भाग लेने की अनुमति दी गई।

2.115 सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) के अंतर्गत सीएसजीएल घटक खाताधारकों के साथ तथा उनके बीच आबंअन के दिन प्राथमिक शेयरों में सफल बोलीकर्ताओं को आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री को 11 मई 2005 से अनुमति दी गई थी ताकि सफल बोलीकर्ता मूल्य जोखिम को कम कर सकें। उस समय तक आबंटन के दिन प्राथमिक शेयरों में सफल बोलीकर्ताओं को आबंटित प्रतिभूतियों के संबंध में बिक्री संविदा केवल एसजीएल खाता धारक संस्थाओं के बीच ही की जा सकती थी और रिज़र्व बैंक की सुपुर्दगी बनाम भुगतान प्रणाली के अंतर्गत उनका निपटान किया जा सकता था।

2.116 एफआरबीएम एक्ट के प्रावधान के अनुसार असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर प्राथमिक नीलामियों में 1 अप्रैल 2006 से रिज़र्व बैंक द्वारा भाग न लेने के परिणामस्वरूप वैकल्पिक संस्थागत व्यवस्था करने की जरूरत पैदा हो गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्ज प्रबंधन के लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं और सरकार बाजार की अस्थिरता को भड़काए बगैर सभी प्रकार की बाजार स्थितियों में उधार ले सकती है। प्राथमिक बाजार से रिज़र्व बैंक के हटने के बाद प्राथमिक व्यापारियों ने और सक्रिय एवं गतिशील भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले परिचालनों को सहज बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक उपाय किए गए थे। पहला, उन बैंकों को भी प्राथमिक व्यापारियों का व्यापार करने की अनुमति दी गई थी जो न्यूनतम निवल स्व निधियों, न्यूनतम सीआरएआर, 3 प्रतिशत से कम की निवल एनपीए स्थिति तथा पिछले तीन वर्षों में लाभ कमाने के रिकार्ड जैसे कुछ न्यूनतम पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं। दूसरे, सीमाओं के अधीन रखते हुए प्राथमिक व्यापारियों को सरकारी प्रतिभूतियों के उनके मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त अपनी अन्य गतिविधियों को बहुआयामी बनाने की अनुमति दी गई थी। तीसरे, हामीदारी वचनबद्धता एवं प्राथमिक व्यापारियों को चलनिधि की सहायता के लिए एक संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2006 से शुरू की गई थी।

2.117 इस उद्देश्य से कि प्रतिभागी अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अधिक दक्षतापूर्वक कर सकें तथा वे बाजारों को चलनिधि भी दे सकें, सरकारी प्रतिभूति बाजार पर आंतरिक तकनीकी समूह ने चरणबद्ध तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री की अनुमति देने की सिफारिश की थी जिससे बाजार के प्रतिभागी ब्याज दर की अपेक्षाओं के संबंध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकेंगे। तदनुसार, 28 फरवरी 2006 से बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को केंद्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की एकमुश्त बिक्री करने की अनुमति दी गई थी बशर्ते कि उन प्रतिभूतियों को उसी कारोबारी दिवस के भीतर द्वितीयक बाजार से एकमुश्त खरीद के द्वारा पूरा किया जाता हो एक दिन के भीतर मंदड़िया बिक्री की अनुमति स्टाकवार सीमाओं तथा संपूर्ण जोखिम सीमाओं के अनुसार कुछ निर्धारणों के अधीन दी गई है। अभी तक बाजार से प्राप्त फीड बैक को ध्यान में रखते हुए निपटान चक्रों के बीच मंदड़िया बिक्री की अनुमति देने तथा रिपोकृत स्टाक की बिक्री की अनुमति देने पर तेजी से विचार किया जा रहा है।

2.118 आंतरिक तकनीकी समूह ने भी प्रतिभूतियों को तेजी से मजबूत बनाने की सिफारिश की है ताकि सरकारी प्रतिभूति बाजार को चलनिधि दी जा सके जिसके तहत अर्थरहित प्रतिभूतियों की जगह पर अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों को स्थान दिया जाएगा। प्रतिभूतियों को तेजी से मजबूत बनाने के विभिन्न विकल्प तैयार किए गए हैं तथा इस सबंध में तौर तरीके एक बार बन जाने के बाद मजबूत बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।

2.119 एफआरबीएम ऐक्ट के मद्देनजर ऋण निर्गम ढांचे के पुनःनिर्माण के एक भाग के रूप में आंतरिक तकनीकी समूह की सिफारिशों के अनुपालन में मई 2006 से केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में 'जब जारी '(डब्ल्युआइ) लेनदेनों की अनुमति दी गई है। 'जब जारीट, 'जब, जैसे एवं यदि जारी' का संक्षिप्त रूप है जो किसी प्रतिभूति में शर्तिया लेनदेन को दर्शाता है जो जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत तो की गई है लेकिन वास्तव में अभी तक जारी नहीं की गई। सभी 'जब जारी 'संबंधी लेनदेन 'यदि'आधारित होते हैं जिनका निपटान यदि तथा जब वास्तविक प्रतिभूति जारी की जाती है तब किया जाता है। 'जब जारी 'बाजार बिना किसी व्यवधान के बड़े शेयरों को हासिल करने के लिए बाजार को अधिक समय देकर प्रत्येक शेयर के लिए वास्तविक वितरण अवधि को लंबा करते हुए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वितरण प्रक्रिया को आसान बना देता है। इसके अतिरिक्त, यह नीलामियों के इर्द-गिर्द की अनिश्चितताओं को कम करके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को भी संभव बनाता है। 'जब जारी 'बाजार में वास्तविक कारोबार 1-8 अगस्त 2006 से प्रारंभ सप्ताह में केंद्र सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी से प्रारंभ हुआ। तदुपरांत, यह कारोबार 14-18 अगस्त 2006 तथा 4-8 सितंबर 2006 को प्रारंभ नीलामियों के दौरान हुआ। 'जब जारी 'खंड में किए गए कारोबार की कुल मात्रा 30 सितंबर 2006 तक 440 करोड़ रुपए थी।

विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां:

2.120 वर्ष 2005-06 के दौरान रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा को उच्च प्राथमिकता देते हुए बाह्य लेनदेनों के लिए अधिक अनुकूल

वातावरण बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। चालू खाता लेनदेन में सुधारों के अंतर्गत प्रतिबंधों को हटाने एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर बल दिया गया था। पूंजी खाता के मामले में लेनदेन के प्रति दृष्टिकोण क्रमिक एवं क्रमबद्ध उदारीकरण का था। लेनदेन की लागत को कम करने के लिए भी उपाय किए गए थे। बाजार की गरिमा बनाए रखने के लिए एएमएल संबंधी दिशानिदेश बनाए गए।

2.121 विदेशी मुद्रा बाजार को सघन बनाने तथा मुद्राओं, सरकारी प्रतिभूतियों एवं विदेशी मुद्रा बाजारों के बीच आपसी व्यापार को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने की दृष्टि से भारत में अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार के लिए बंदी समय 16 मई 2005 से एक घंटा बढ़ाकर 5.00 बजे शाम तक कर दिया गया था।

2.122 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन के प्रगामी उदारीकरण के साथ-साथ अधिक से अधिक संस्थाओं को गैर व्यापार चालू खाता लेनदेन करने की अनुमति दी गई है। इस प्रक्रिया के अनुक्रम में चयनित पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को निजी दौरों, व्यापारिक यात्राओं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/प्रशिक्षण/अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने, फिल्म शूटिंग, डॉक्टरी चिकित्सा, उत्प्रवास तथा उत्प्रवास परामर्श शुल्क जैसे अनेक प्रकार के गैर व्यापार संबंधी चालू खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने/विप्रेषित करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप पूर्ण प्राधिकृत व्यापारी (एडी) का लाइसेंस धारण करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के रूप में तथा गैर व्यापार चालू खाता लेनदेन करने वाले बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के रूप में पदनामित किया गया है।

2.123 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I को रिज़र्व बैंक के सामान्य / विशेष अनुमोदन से स्थापित परियोजनाओं कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दी गई है। कुछ शर्तों के अधीन उन्हें बगैर रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से परियोजना कार्यालयों द्वारा अंतरावकाशी विप्रेषण करने की भी अनुमति दी गई है। तथापि, निधियों के अंतर- परियोजना अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परियोजना कार्यालय तथा परियोजना को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी अथवा अन्य सरकारी/गैर सरकारी एजेंसियों के बीच विवाद के मामले में इस प्रकार के खाते में धारित शेष राशि भारतीय रुपए में परिवर्तित कर दी जाएगी और उसे एक विशेष खाते में जमा कर दिया जाएगा और उसका व्यवहार विवाद के निपटान के अनुसार किया जायेगा।

2.124 प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को मौजूदा शर्तों के अधीन अंतिम दो लेखा वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री/आय अथवा पण्यावर्त (टर्नओवर) के प्रारंभिक खर्च के लिए 10 प्रतिशत तक तथा आवर्ती खर्चों के लिए 5 प्रतिशत तक शाखा/कार्यालय अथवा विदेश प्रतिनिधि का खर्च प्रेषित करने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निम्नलिखित तीन शर्तों (i) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शेयर जारी करने वाली कंपनी ऐसी भारतीय कंपनी में अपनी इक्विटी के 51 प्रतिशत से कम निवेश न करती हो जिनके कर्मचारियों/निदेशकों को शेयर दिए जा रहे हों (ii) जारीकर्ता कंपनी द्वारा ईएसओपी योजना के अंतर्गत शेयर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समान आधार पर दिए जाते हों (iii) भारतीय कंपनी द्वारा प्रेषणों /लाभार्थियों के विवरण देते हुए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से एक वार्षिक विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती हो, के अधीन ईएसओपी योजनाओं के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन की विधि पर विचार किए बगैर बिना किसी मौद्रिक सीमा के शेयर लेने के लिए विदेशी मुद्रा विप्रेषित करने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, कुछ शर्तों के अधीन विदेशी कंपनियों को किसी ईएसओपी योजना के अंतर्गत भारत में निवासियों को जारी किए गए शेयरों को पुनः खरीदने के लिए सामान्य अनुमति दी गई है।

2.125 निर्यातकों /आयातकों को उपलब्ध सुविधाओं को और उदार बनाने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान अनेक उपाय किए गए थे। पहले, प्राधिकृत व्यापारियों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की निर्यात आय को प्राप्त करने के लिए निर्धारित छः माह की अवधि से अधिक का समय मंजूर करने की अनुमति दी गई। दूसरे, ऋण आधार पर सोने के आयात के लिए वैकल्पिक साख पत्र खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया तथा स्वर्ण ऋण का मूल्य तथा चुकौती की अवधि निर्धारित करने को युक्तियुक्त बनाया गया। तीसरे, कुछ शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारियों को परिचालन पट्टे पर वायुयान/वायुयान इंजन/ हेलीकाप्टर के आयात के लिए पट्टे के किराए के भुगतान के लिए जमानत की राशि के प्रति प्रति वायुयान 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का विप्रेषण करने की अनुमति एअर लाइन कंपनियों को देने की अनुमति दी गई। चौथे, प्राधिकृत व्यापारियों के लिए अब 1,00, 000 अमेरिकी डॉलर या उससे कम राशि के आयात का साक्ष्य प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है बशर्ते वे लेनदेन की उपयुक्तता तथा विप्रेषक के सद्भाव से संतुष्ट हों। पांचवें, भारत के निवासियों को सभी पात्र वायदा संविदाओं को निरस्त करने तथा उनको पुनः बुक करने की अनुमति दी गई तथा बैंकों को कुछ शर्तों तथा सूचना देने संबंधी अनिवार्यताओं के अधीन भारत के बाहर केंद्रों अथवा बाजारों में उत्पाद प्रतिरक्षा (हेजिंग) के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करने की अनुमति दी गई। छठे, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उन मामलों में जीआर अनुमोदन देने की शक्ति मंजूर की गईं जहां इस शर्त के अधीन वस्तुओं का निर्यात मरम्मत/रखरखाव/परीक्षण/ कैलिब्रेशन के पश्चात पुनः आयात के लिए किया जा रहा है कि निर्यातक भारत से निर्यात की गई मद के पुनः आयात के एक महीने के भीतर संबंधित 'बिल ऑफ इन्ट्री' प्रस्तुत कर देगा।

2.126 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मार्ग के अंतर्गत पात्र एफआइआइ को छोड़कर व्यक्ति/संस्थाओं को रिज़र्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की इक्विटी पूंजी में निवेश करने की अनुमति दी गई है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत एफआइआइ को अब रिज़र्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में एसआर की योजना की प्रत्येक शृंखला के 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दे दी गई है बशर्ते कि प्रत्येक शृंखला में किसी एक एफआइआइ का निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.127 बैंकों को अपनी पूंजी में वृद्धि करने के लिए भारत में उन्हें टियर I पूंजी के रूप में समावेशन के लिए पात्र सतत ऋण लिखत तथा अपर टियर II पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखत जारी करने की अनुमति दी गई। सेबी में पंजीकृत एफआइआइ तथा अनिवासी भारतीयों को अब निम्नलिखित शर्तों (क) सतत ऋण लिखतों में निवेश समस्त एफआइआइ द्वारा शेयर के मूल्य के 49 प्रतिशत तथा किसी व्यक्ति द्वारा 10 प्रतिशत की कुल सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए; (ख) सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश प्रत्येक शेयर के 24 प्रतिशत तथा एक अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश प्रत्येक शेयर के 5 प्रतिशत की कुल अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए; (ग) ऋण पूंजी लिखतों (टियर II) में एफआइआइ द्वारा निवेश सेबी द्वारा कारपोरेट ऋण में एफआईआई निवेश के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर होना चाहिए; तथा (घ) ऋण पूंजी लिखतों (टियर II) में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य ऋण लिखतों में निवेश के लिए मौजूदा नीति के अनुसार होगा, इन लिखतों को खरीदने की अनुमति दी गई है।

2.128 काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों के प्रति बढ़ती हुई चिंता को ध्यान में रखकर तथा इस प्रकार की गतिविधियों के लिए प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी) का दुरुपयोग किए जाने को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने विस्तृत धनशोधन की रोकथाम (एएमएल) संबंधी दिशानिदेश जारी किए ताकि प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक मुद्रा परिवर्तन संबंधी लेनदेन करते समय धन शोधन की रोकधाम के लिए नीतिगत ढांचा एवं प्रणालियों की व्यवस्था कर सकें। जारी दिशानिदेशों के अनुसार सभी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे धनशोधन निरोधक उपायों के लिए उपयुक्त नीतियां एवं प्रक्रियाएं बनाएं जिनमें (i) ग्राहक पहचान प्रक्रिया 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदंड (ii) संदिग्ध लेनदेनों की पहचान, व्यवहार तथा प्रकटन, (iii) धनशोधन की सूचना देनेवाले अधिकारी की नियुक्ति (एमएलआरओ), (iv) कर्मचारी प्रशिक्षण, (v) अभिलेखों का रखरखाव, तथा (vi) जारी दिशानिदेशों के अनुसार लेनदेन की लेखा-परीक्षा, शामिल हैं। धनशोधन निरोधक नीतिगत ढांचे तथा उपायों को सूत्रबद्ध किया जाना था और उन्हें प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के निदेशक मंडल के अनुमोदन से 31 मार्च 2006 से पहले कार्यान्वित किया जाना था।

2.129 प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा कुछ दिशानिदेशों को कार्यान्वित किए जाते समय व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनजर धनशोधन निरोधक दिशानिदेशों में आगे भी संशोधन किया गया। इनमें शामिल हैं : (i) 200 अमेरिकी डॉलर से कम या इसके बराबर विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए पहचान दस्तावेज की फोटोस्टैट प्रतियों को रेकार्ड में रखने की जरूरत नहीं है, (ii) पहचान दस्तावेज की फोटोस्टैट प्रतियों को एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा 200 अमेरिकी डॉलर तथा 2000 अमेरिकी डॉलर के बीच या उसके बराबर की विदेशी मुद्रा के नकदीकरण के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा का पूरा होना, (iii) 2000 अमेरिकी डॉलर से अधिक अथवा उसके बराबर नकदीकरण के लिए पहचान दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रतियों को न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए, तथा (iv) विदेशी आगंतुकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा 2000 अमेरिकी डॉलर तक का नकदी भुगतान करने के संबंध में किए गए अनुरोधों को स्वीकार किया जा सकता है।

2.130 बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति की समीक्षा की गई थी तथा उसे अगस्त 2005 में और उदार बनाया गया ताकि सूक्ष्म वित्त से जुड़े गैर सरकारी संगठनों एवं मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शामिल किया जा सके जब बहु राज्यीय को ऑपरेटिव सोसायटियों से संबंधित नीति को जनवरी 2006 में उदारीकृत किया गया। अगस्त 2005 में ईसीबी की चुकौती सीमा को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया था।

2.131 सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल फंडों में ओवरसीज़ निवेश को जुलाई 2006 में उदारीकृत करके उसकी सीमा को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2006 में 23 सीमित संख्या में अर्द्ध म्यूचुअल फंडों को ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक साथ-साथ निवेश करने की अनुमति दी गई जैसा कि सेबी द्वारा अनुमत है।

2.132 विदेशी संस्थागत निवेशकों को जुलाई 2006 में भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों को संपार्श्विक के रूप में व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) क्षेत्र में अपने लेनदेन के लिए एएए रेटिंग वाली गारंटीकृत प्रतिभूतियां देने की अनुमति दी गई।

7. बैंकों में ग्राहक सेवा

2.133 रिज़र्व बैंक बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाकर ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए

सतत आधार पर उपाय कर रहा है। बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी सभी गतिविधियों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने अलग से एक ग्राहक सेवा विभाग (सीएसडी) की स्थापना की है। ग्राहक सेवा विभाग के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक सेवा से जुड़े अनुदेशों / सूचनाओं को फैलाना तथा बैंकों द्वारा शिकायतों का निवारण, बैंकिंग लोकपाल योजना को लागू करना, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (सीसीएसबीआई) के लिए एक केंद्रीय विभाग के रूप में कार्य करना, बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित रिज़र्व बैंक द्वारा सीधे प्राप्त शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना, ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण संबंधी मामलों पर बैंकों, इंडियन बैंक एसोसिएशन, बीसीएसबीआई, बीओ कार्यालयों तथा रिज़र्व बैंक के विनियामक विभागों के बीच संपर्क स्थापित करना, शामिल है।

2.134 हाल के वर्षों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल 18 फरवरी 2006 को भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना रही है। बीसीएसबीआई, रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग उद्योग के बीच सहयोगात्मक प्रयास से 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता' का विकास किया गया है। इस संहिता के माध्यम से बैंक एक 'शुल्क अनुसूची' रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें सभी प्रभार शामिल किए गए हों। बीसीएसबीआइ की भूमिका प्रत्येक सदस्य बैंक एवं बीसीएसबीइआई के बीच 'समझौते' के माध्यम से बैंकों द्वारा संहिता के पालन का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा उसे लागू करना है। बीसीएसबीआई की भूमिका दंडात्मक उपायों के बजाय सहयोगपरक उपचारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रणालीगत कमियों का पता लगाना एवं उनमें सुधार करना है। (बॉक्स II.19)।

2.135 बैंकों के विरुद्ध शिकायतों पर रिज़र्व बैंक में दो स्तरों पर कार्रवाई की जाती है। पंद्रह बैंकिंग लोकपाल कार्यालय बैंकिंग लोकपाल योजना के प्रावधानों के अंतर्गत विचारणीय शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। रिज़र्व बैंक विनियामक विभाग उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं जो बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं है। इन शिकायतों को जमा खातों, ऋण और अग्रिमों, क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों की गतिविधियों, ऋणों की वसूली में उत्पीड़न तथा सामान्य / अन्य में वर्गीकृत किया गया है।

2.136 रिज़र्व बैंक ने पहली बार 14 जून 1995 को बैंककारी विनिमय अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35क के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल योजना की अधिसूचना जारी की थी ताकि बैंकों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण को एक प्रणाली बनाई जा सके। योजना में ग्राहक शिकायतों के त्वरित एवं सस्ता समाधान की एक प्रणाली

बॉक्स II.19 : भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के 11 अन्य बैंकों के साथ फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता तथा मानक बोर्ड की स्थापना की है ताकि यह निगरानी एवं सुनिश्चित किया जा सके कि क्या बैंकों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपनाए गए बैंकिंग संहिताएं और मानकों का वैयक्तिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते समय शब्दशः और वस्तुतः अनुपालन किया जाता है। उद्योगवार इन मानदंडों को बैंक की ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता की संहिता के रूप में संहिताबद्ध किया गया है जिसे बैंकिंग उद्योग के साथ परामर्श से विकसित तथा रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा 01 जुलाई 2006 को जारी किया गया।

यह संहिता भारत में बैंकिंग के विकास में मील का पत्थर है क्योंकि पहली बार वैयक्तिक ग्राहक को अधिकार पत्र प्रदान किया गया है जिसे वह अपने बैंक के विरुद्ध लागू कर सकता है। यह संहिता बैंकों के लिए बैंकिंग प्रथाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है जिसका बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन में पालन करने तथा पारदर्शिता पर बल देने में अनुपालन करें। संकल्पित पारदर्शिता हासिल करने के लिए यह संहिता शुल्क अनुसूची के रूप में बैंकों के शुल्क तथा सेवा प्रभारों के दस्तावेजीकरण का प्रावधान करता है तथा बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे चेक वसूली नीति, क्षतिपूर्ति नीति, प्रतिभूति पुनर्प्राप्ति नीति निर्धारित करें। यह संहिता ग्राहक को कोई उत्पाद अथवा सेवा बेची जाने से पहले उसे पूरी सूचना प्रदान करने पर बहुत अधिक बल देती है। बिक्री बाद व्यवहार के लिए इस संहिता में बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने शुल्क अनुसूची में या उत्पादों को नियंत्रित करने वाली शर्तों में कोई परिवर्तन, जिसका ग्राहक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, करने से पहले अपने ग्राहक को एक महीने की नोटिस दें। संहिता के सभी उपबंधों में समाहित मूल सिद्धांत यह है कि बैंकों को ग्राहकों की अस्पष्ट सहमति पर निर्भर नहीं करना चाहिए तथा सभी प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं ग्राहक को उसके द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट सहमति मिलने के बाद ही बेची जानी चाहिए। इस सिद्धांत के समदृश तार्किक सिद्धांत के रूप में यह संहिता बैंकों को किसी भी रूप में, क्रेडिट कार्ड सहित बिना मांगे ऋण प्रदान करने से प्रतिबंधित करती है।

यह संहिता ग्राहकों की निजता के अधिकार को महत्व देती है तथा अनुचित विलंब, अधिदेशों को कार्यान्वित न करने या त्रुटिपूर्ण नामे लेखा के कारण किसी वैयक्तिक ग्राहक द्वारा उठाई गई किसी वित्तीय क्षति के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार स्वतः क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान करती है।

इस संहिता के उपबंध बैंक शाखाओं के माध्यम से बेचे गए तीसरे पक्षकार उत्पादों पर लागू हैं तथा बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट भी उक्त संहिता के उपबंधों का पालन करते हैं। बीसीएसबीआइ का क्षेत्राधिकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तक सीमित है तथा 69 बैंकों ने इन प्रमुख बैंकों में से 55 के साथ समझौता करने की प्रक्रिया में बीसीएसबीआइ का सदस्य बनने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

बीसीएसबीआइ में सांविधिक विनियमन तथा स्व विनियमन का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण लिया गया है। यह न केवल अपनी उत्पत्ति अपितु अपने प्रयोजन में भी बैंकों तथा रिज़र्व बैंक के बीच एक सहयोगपरक प्रयास है। जहां बीसीएसबीआई की सदस्यता ग्रहण करने वाले बैंक संहिता का अनुपालन करने पर सहमत है वहीं रिज़र्व बैंक को बीसीएसबीआई के सदस्य बैंकों से पर्यवेक्षी सहूलियत मिलेगी क्योंकि यह अप्रणालीगत मुद्दों की जांच करेगी जिनसे ग्राहक सेवा तथा वित्तीय समावेशन बाधित हुआ । संहिता तथा उसके कार्यान्वयन को सूत्रबद्ध करने में बीसीएसबीआई द्वारा अपनाए गए सामान्य परामर्शी दृष्टिकोण के द्वारा सहयोग की भावना को आगे बल मिला।

स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इस योजना में दो बार संशोधन किया गया था, पहला 2002 में और दूसरा 2006 में। इस समय इस योजना का कार्यान्वयन रिज़र्व बैंक द्वारा संपूर्ण देश में 15 केंद्रो पर नियुक्त बैंकिंग लोकपालों द्वारा किया जा रहा है। बैंकिंग लोकपाल योजना की परिधि में सभी वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक आते हैं।

2.137 संशोधित योजना 01 जनवरी 2006 को लागू हुई। इसमें शिकायतों के नए आधारों को शामिल किया गया जैसे क्रेडिट कार्ड के मुद्दे, वादाकृत सुविधाएं देने में विफलता, उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के अधिक प्रभार लगाना। इसमें ऑन-लाइन या ई-मेल द्वारा शिकायतें दर्ज करने को सुविधाजनक बनाने के लिए शिकायत दर्ज कराने की अनिवार्य अपेक्षा को शिथिल किया गया। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता बैंकिंग लोकपाल के फैसले के विरुद्ध भी अपील कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत सिर्फ रिज़र्व बैंक के कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों की ही बैंकिंग लोकपाल के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है तथा बैंकिंग लोकपाल के सचिवालय में केवल रिज़र्व बैंक के अधिकारी होंगे। तथापि, बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे इस योजना के लिए अपने आंचलिक कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय अधिकारियों को नियुक्ति करें। इसके अलावा इस योजना पर आने वाली लागत भी पूरी तरह रिज़र्व बैंक द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग लोकपाल अंतर-बैंक विवादों के विवाचन बजाय शिकायतों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें इसके लिए बैंकिंग लोकपाल से जुड़े विवाचन विकल्प को हटा दिया गया। संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना में शिकायतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है जिसका मुख्य कारण इस योजना की परिधि में क्रेडिट कार्ड से जुड़े मुद्दे, उसे दिया गया व्यापक प्रचार तथा ऑन-लाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना है।

2.138 जुलाई 2006 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइटों के होमपेज के किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 'सेवा प्रभार तथा शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत सेवा प्रभारों तथा शुल्कों के बारे सूचना रखें ताकि बैंक ग्राहक आसानी से उनके बारे में जान सकें (बॉक्स II.20)। होम पेज पर शिकायत निवारण के लिए केंद्रीय अधिकारी के नाम सहित एक शिकायत फॉर्म दिया जा सकता है ताकि ग्राहकों द्वारा शिकायत प्रस्तुत करना सुविधाजनक हो सके। शिकायत फॉर्म में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि शिकायतों के निवारण के लिए पहला केंद्र स्वयं बैंक ही है तथा शिकायतकर्ता केवल तभी बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें जब उनकी शिकायत का निवारण बैंक के स्तर पर एक महीने के भीतर नहीं किया गया हो।

क्रेडिट कार्ड परिचालन

2.139 क्रेडिट कार्ड ने 'हर जगह एवं हर समय' बैंकिंग की अवधारणा को एक सच्चाई में बदल दिया है। पिछले कुछ वर्षों में रिज़र्व बैंक ने एक सुरक्षित, सुनिश्चित तथा सक्षम तरीके से क्रेडिट कार्ड के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं। रिज़र्व बैंक का यह भी एक प्रयास रहा है कि कार्ड जारी करने वाले बैंकों के नियम, विनियम मानक तथा प्रथाएं सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप हों। वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की घोषणा के अनुसार

बॉक्स II.20 : बैंकों द्वारा सेवा प्रभार

सितंबर 1999 से पहले भारतीय बैंक संघ सदस्य बैंकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए न्यूनतम (बेंचमार्क) सेवा प्रभारों को तय करता था जो अनिवार्य प्रकार का नहीं था लेकिन, सभी बैंकों द्वारा उन्हें अपनाया जा रहा था। बैंकों की सेवाओं के लिए दरें तय करने की प्रथा नियंत्रित ब्याज दरों की व्यवस्था के अनुकूल तो था लेकिन यह प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के प्रतिकूल था। अतः रिज़र्व बैंक ने सितंबर 1999 में आई बी ए को निदेश दिया कि वह सदस्य बैंकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए न्यूनतम सेवा प्रभारों की सूची न तैयार करे तथा यह निर्णय किया गया कि बैंकों को अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से अपने द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करने की अनुमति दी जाए। तथापि, इसी के साथ बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अपने द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए प्रभार निर्धारित करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभार उचित हों और इन सेवाओं को प्रदान करने में आई औसत लागत से अधिक न हों।

रिज़र्व बैंक को लगातार बैंकों द्वारा अनुचित एवं गैर-पारदर्शी तरीके से सेवा प्रभार लगाए जाने के संबंध मं अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि इस संबंध में मौजूदा संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त दिशा निदेशों की समीक्षा की गई थी। तदनुसार, मई 2006 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइटों पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभिन्न प्रारूप के सेवा प्रभारों के ब्योरों को प्रदर्शित करें एवं उन्हें अद्यतन बनाएं। प्रदत्त उत्पादों के आधार पर उक्त प्रारूप को संशोधित किया जा सकता है लेकिन प्रारूप में उल्लिखित सभी सेवा प्रभारों को शामिल किया जाना चाहिए। बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य किया गया कि वे अपने कार्यालयों/शाखाओं में कुछ आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रभारों को प्रदर्शित करें। इसे स्थानीय भाषा में भी प्रदर्शित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैंकों के लिए अपने लागू सेवा प्रभारों का ब्यौरा 31 मई 2006 तक रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया ताकि उन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जा सके।

भारतीय बैंकिंग संहिता तथा मानक बोर्ड की स्थापना एक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके बैंक उन संहिताओं एवं मानकों के अनुसार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिनके प्रति वे सहमत हैं। वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के घोषणा के अनुपालन में 18 मई 2006 को एक कार्य समूह (अध्यक्ष : श्री.एन.सदासिवन) का गठन किया गया। इस समूह को बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करने तथा उसे उचित व्यवहार संहिता मे अंगीकृत करने की एक योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है जिसके अनुपालन की निगरानी बीसीएसबीआई करेगी । समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समूह के सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है।

रिज़र्व बैंक ने कार्डों के लिए विनियामक व्यवस्था पर एक कार्य-समूह (अध्यक्ष : श्री.आर.गांधी) का गठन 26 अक्तूबर 2004 को किया था। इस कार्य-समूह की सिफारिशों तथा जनता के सदस्यों, कार्ड जारी करने वाले बैंकों तथा अन्य से प्राप्त फीड बैंक के अनुपालन में नवंबर 2005 में बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों संबंधी दिशा-निदेश जारी किए गए (बॉक्स II.21)।

बॉक्स II.21 : बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन

कार्डों के लिए विनियामक व्यवस्था पर कार्य-समूह की सिफारिशों के आधार पर बैंकों/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर एक मास्टर परिपत्र/ दिशा-निदेश 21 नवंबर 2005 को जारी किए गए। उक्त दिशा-निदेशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- प्रत्येक बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए एक सुप्रलेखित नीति होनी चाहिए जिसमें क्रेडिट कार्ड जारी करने के बारे में भारतीय बैंक संघ द्वारा मार्च 2005 में जारी निष्पक्ष व्यवहार संहिता को शामिल किया गया हो।
- बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां व्यक्तियों, विशेषतः विद्यार्थियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिनके पास अपने स्वतंत्र वित्तीय साधन नहीं होते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी करते समय स्वतंत्र रूप से ऋण जोखिम का मूल्यांकन करें और क्रेडिट कार्ड ग्राहक द्वारा की गई स्व-घोषणा / ऋण संबंधी जानकारी के आधार पर उनके लिए ऋण सीमा निर्धारित करें।
- क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंडों के अनुपालन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगी।
- कार्ड जारी करते समय क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसका प्रयोग करने से संबंधित शर्तें स्पष्ट और सरल भाषा में सूचित की जानी चाहिए।
- कार्ड जारी कर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिल भेजने में विलंब न हो और विलंब के लिए ब्याज लगना आरंभ होने से पहले बिल का भुगतान करने के लिए ग्राहक को पर्याप्त दिनों का समय (कम से कम एक पखवाड़ा) मिले।
- कार्ड जारीकर्ता को चाहिए कि वे कार्ड के उत्पादों पर (फुटकर खरीद और नकद अग्रिम के लिए अलग-अलग, यदि वे भिन्न हों तो) कुछेक उदाहरणों के साथ वार्षिकीकृत प्रतिशतता दरों के परिकलन की पद्धति बताते हुए वार्षिकीकृत प्रतिशतता दरों (एपीआर) का उल्लेख करें ताकि ग्राहक उन्हें आसानी से समझ सकें।
- बैंक/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उन प्रभारों को छोड़कर जैसे कि सेवा कर, जो सरकार द्वारा या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बाद में लगाए जाएं, ऐसा कोई भी प्रभार न लगाएं जिनकी सूचना क्रेडिट कार्ड जारी करते समय कार्ड धारक को स्पष्ट रूप से न दी गई हो और उसकी सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।
- क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान की न्यूनतम देय राशि सहित क्रेडिट कार्ड की देय राशि के भुगतान के बारे में शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए ताकि ऋणात्मक चुकौती को टालना सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रभारों में कोई भी परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से लागू किया जाए और उसकी सूचना कम से कम एक माह पहले दी जाए।
- यदि कोई ग्राहक किसी बिल पर कोई आपत्ति उठाता है तो बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे उस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें और यदि आवश्यक हो तो, ग्राहक की शिकायत को दूर करने की मैत्रीपूर्ण भावना से साठ दिन की अवधि के अंदर उसे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।
- विलंब से बिल भेजने की बार-बार शिकायतों से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उचित सुरक्षा इंतजाम के साथ बिलों और खाता विवरणों को ऑन लाइन भेजने पर विचार कर सकते हैं।
- बैंकों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आउट सोर्सिंग करते समय सेवा प्रदान करने वालों की नियुक्ति करने में अति सावधानी बरतनी होगी कि वे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऋण, चलनिधि, और परिचालनगत जोखिमों के प्रबंधन की क्षमता और भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री एजंटों (डीएसए) के लिए तैयार की गई आचार संहिता पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। बैंकों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास आकस्मिक जांच और प्रछन्न खरीद (मिस्टरी शॉपिंग) की एक प्रणाली होनी चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके एजंटों को उचित जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया है।
- कार्ड जारी करने वाला बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वैयक्तिक प्राइवेसी, अधिकारों एवं दायित्वों संबंधी सुपष्टता, ग्राहक के अभिलेखों का परिरक्षण, ग्राहक संबंधी जानकारी की गोपनीयता और ऋण वसूली में निष्पक्ष व्यवहार सहित ग्राहक के अधिकारों से संबंधित अपने एजंटों (डीएसए / डीएमए और वसूली एजंटों) की चूक-भूल के लिए जिम्मेदार होगी।
- यदि बिना मांगे कोई कार्ड जारी किया जाता है और संबंधित प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना वह कार्यान्वित हो जाता है और प्राप्तकर्ता को उसके लिए बिल भेजा जाता है तो कार्ड जारी करने वाला बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी न केवल उक्त प्रभारों को तत्काल प्रत्यावर्तित करेगी बल्कि प्रत्यावर्तित किए गए प्रभारों के मूल्य से दुगुनी राशि कार्ड के प्राप्तकर्ता को दंड के रूप में अविलंब अदा करेगी।
- कार्ड जारी करने वाले बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को एक 'कॉल न करें रजिस्टर' (डीएनसीआर) रखना चाहिए जिसमें उन ग्राहकों के तथा गैर-ग्राहकों (गैर-घटक) के फोन नबंर (लैंड लाइन फोन तथा मोबाइल फोन दोनो ही) होने चाहिए जिन्होंने इस बारे में बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सूचित किया हो।
- खाता खोलते समय या क्रेडिट कार्ड जारी करते समय ग्राहकों से ली गई जानकारी को कार्ड जारीकर्ता बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बिना निर्दिष्ट सहमति प्राप्त किए किसी व्यक्ति या संस्थान को नहीं देनी चाहिए।
- भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लि. (सिबिल) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य क्रेडिट कंपनी को किसी क्रेडिट कार्ड धारक के संबंध में चूक की स्थिति की सूचना देने से पूर्व बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि वे अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित क्रियाविधि जिसमें ऐसे कार्ड धारक को क्रेडिट इंफार्मेशन कंपनी को उसे चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट करने के उद्देश्य के बारे में पर्याप्त सूचना जारी करना शामिल है, का अनुपालन करती हैं।
- देय राशियों की वसूली के मामले में, बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि वे तथा उनके एजेंट भी उधारदाताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन देय राशियों की वसूली तथा जमानत के पुनर्ग्रहण के लिए करते हैं।
- बैंक / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी / उनकेएजेंटों को अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार से मौखिक अथवा शारीरिक रूपसे डांट-डपट अथवा परेशान करने का सहारा नहीं लेना चाहिए।
- कार्ड जारी करने वाले बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ही शिकायत निवारण तंत्र गठित करना चाहिए तथा इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार करना चाहिए।
- शिकायत दर्ज करने की तारीख से अधिकतम 30 दिन की अवधि में शिकायतकर्ता को यदि बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संतोषप्रद प्रतिसाद नहीं मिलता है तो उसके पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में जाने का विकल्प होगा।
- बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सतत आधार पर सुनिश्चित की जाती है, इस दृष्टि से प्रत्येक बैंक / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ग्राहक सेवा से संबंधित स्थायी समिति मासिक आधार पर क्रेडिट कार्ड के कार्यकलापों की समीक्षा, सिबिल को प्रस्तुत चूककर्ता की रिपोर्टों, क्रेडिट कार्ड परिचालन में व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करे।

बाक्स II.22 : शाखा प्राधिकार नीति

शाखाएं खोलने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने प्रस्ताव के साथ रिज़र्व बैंक के पास आएं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की अपेक्षा के अनुसार कुछ निश्चित अनुपालन पूरे करें। आफ साइट ए टी एम सहित सभी श्रेणी की शाखाओं को खोलने, बंद करने और स्थानांतरण से संबंधित सभी निर्दिष्ट प्रस्ताव अपनी उस वार्षिक योजना में शामिल करें जिसे वे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं। शाखा के साथ खोले जानेवाले आन-साइट ए टी एम के लिए अलग से अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है। शाखा खुलने के पश्चात बैंकों से अपेक्षित है कि शाखा खुलने की तारीख तथा उसके पूरे पते की रिपोर्ट तुरंत ही रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को करें। बैंकों को जारी प्राधिकार / अनुमति के समेकित पत्र को जारी करने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए प्राधिकार प्रदान किया जाता है। यदि किसी वास्तविक कारण की वजह से बैंक उस शाखा विशेष को नहीं खोल पाता है तो अधिकतम तीन महीने के समय विस्तार के लिए वह रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पास जा सकता है।

बैंकों को नई शाखा खोलने का अनुमोदन प्रदान करने से पहले शाखा प्राधिकार नीति की रूपरेखा के तहत कई तत्वों का ध्यान रखा जाता है। पहला तथ्य है कि शाखाएं खोलने के आवेदन पर विचार करते समय इसे भार दिया जाता है कि आम आदमी को बैंकों द्वारा प्रदान की जानेवाली बैंकिंग सेवाओं का स्वरूप और दायरा क्या है। इसमें बैंकिंग जगत की सुविधाओं से काफी हद तक वंचित क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह, उत्पादों की कीमत तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए किए गए समग्र प्रयास, समुचित नए उत्पाद और बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने में तकनीकी के बढ़ते प्रयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। दूसरी बात है कि ऐसे मूल्यांकन में इन तथ्यों को शामिल किया जाता है कि न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता और क्या जमाकर्ता को न्यूनतम बैंकिंग सेवाओं या 'नो फ्रिल्स बैंकिंग सेवाओं तथा पहुंच हासिल है या नहीं, बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों के प्रति वचनबद्धता और अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है और यह इस तथ्य से उभरकर सामने आता है कि कितनी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और इसके लिए बैंक में क्या शिकायत निवारण प्रणाली है। तीसरी बात है कि विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विनियामक सहूलियतें भी समीचीन हैं। इसमें शामिल हैं : (i) अनुपालन सिर्फ विनियमन पत्र के अनुसार न हो अपितु विनियम की मूलभावना तथा अंतर्निहित सिद्धांत के अनुरूप हो; (ii) बैंकिंग समूह की गतिविधियां तथा बैंक की अपनी सहायक संस्थाओं, संबद्ध संस्थाओं, संलग्न संस्थाओं के साथ संबंधों का स्वरूप, और (iii) कंपनी नियंत्रण की गुणवत्ता, समुचित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली।

हर बार प्रत्येक शाखा खोलने के लिए प्राधिकार प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली को परामर्श और परस्पर चर्चा की प्रक्रिया से वार्षिक आधार पर एकमुश्त अनुमोदन की प्रणाली ऐसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। बैंकों की मध्यावधि शाखा विस्तार नीतियों और योजनाओं पर प्रत्येक बैंक रिज़र्व बैंक के साथ चर्चा करेगा। मध्यावधि रूपरेखा और निर्दिष्ट प्रस्तावों में जहां तक संभव हो सके एटीएम सहित शाखाओं / कार्यालयों की सभी श्रेणियों को खोलने / बंद करने / स्थान परिवर्तन को शामिल किया जाए। वार्षिक आधार पर दिया गया प्राधिकार संदेश की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा। शाखा प्राधिकार की संशोधित योजना में शाखा के स्थान परिवर्तन, रूपांतरण और विस्तार पटलों के उन्नयन के बारे में बैंकों को समुचित लोच और स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

भारतीय बैंकों पर लागू शाखा प्राधिकार नीति इन कुछ शर्तों के साथ विदेशी बैंकों पर भी लागू होती है। पहली शर्त है कि भारत में अपनी पहली शाखा खोलते समय विदेशी बैंकों को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की निर्धारित पूंजी अग्रिम रूप से लानी होगी। दूसरी शर्त है कि एक ही शाखा वाले निवर्तमान विदेशी बैंकों के दूसरी शाखा खोलने के आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब वे पहले उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा करें। तीसरी शर्त है कि विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि अपनी शाखा विस्तार योजना को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करें। भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित मापदंडों के अतिरिक्त विदेशी बैंकों के लिए अग्रलिखित अतिरिक्त मापदंड भी आवश्यक हैं: (i) विश्व बाजार में विदेशी बैंक और इसके समूह के अनुपालन तथा कार्यप्रणाली का ट्रैक-रिकार्ड (जहां कहीं आवश्यक हो वहां उसके मूल देश के पर्यवेक्षक से रिपोर्ट मंगाई जाए); (ii) भारत में उपस्थिति दर्ज कराए हुए विदेशी बैंकों का मूल देशों के आधार पर समान वितरण; (iii) आवेदक विदेशी बैंक के मूल देश में भारतीय बैंकों के बारे में क्या कार्रवाई की जाती है; (iv) भारत और मूल देश के बीच द्विपक्षीय तथा राजनैतिक संबंध; और (v) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। ऐसी गणना के लिए शाखाओं की संख्या में ए टी एम शामिल नहीं किए जाएंगे।

शाखा प्राधिकार नीति

2.140 वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना बैंक भारत में नए स्थान पर कारोबार शुरू नहीं कर सकते हैं और उसी शहर, कस्बे या गांव के अलावा अपना कारोबारी स्थान भी नहीं बदल सकते हैं। हालांकि, भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में शाखा खोलने से संबंधित प्राधिकार की वर्तमान नीति जारी रहेगी, पर सितंबर 2005 से शाखा प्राधिकार नीति को उदार तथा युक्तिसंगत बनाया गया ताकि बैंकों को पर्याप्त स्वतंत्रता मिल सके और भारत में नई शाखाएं खोलने की नीति को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके। बैंकों की मध्यावधि कार्पोरेट नीतियों और लोकहित के अनुरूप शाखा प्राधिकार नीति के लिए एक व्यापक रूपरेखा 8 सितंबर 2005 से शुरू की गई (बाक्स II.22)।

8. वित्तीय समावेशन

2.141 2005-06 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा में उन बैंकिंग प्रथाओं पर चिंता जाहिर की गई जिनकी वजह से आबादी का एक बड़ा भाग इनसे वंचित रह जाता है। इसी वजह से बैंकों से अनुरोध किया गया कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के अनुरूप वे अपनी वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा करें। कई बैंकों में यद्यपि कुछ सुविधाएं निःशुल्क हैं पर उनके साथ जुड़ी न्यूनतम शेष राशि की शर्त और लिए जाने वाले प्रभार के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैंक खाता खोलने / उसे बनाए रखने से वंचित रह जाता है।

2.142 अधिक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को हासिल करने के दृष्टिकोण से सभी बैंकों को नवंबर 2005 में सूचित किया गया कि वे एक ऐसा 'नो फ्रिल' रूपी बुनियादी बैंकिंग खाता शुरू करें जिसमें

न्यूनतम शेष राशि या तो 'शून्य' हो या बहुत ही कम हो, साथ ही इसमें प्रभार ऐसे हों जिससे कि यह खाता आबादी के एक बड़े वर्ग की पहुंच में आ सके। इन खातों में किए जाने वाले लेनदेनों का स्वरूप तथा संख्या सीमित रखी जा सकती है मगर इस बारे में ग्राहक को पहले से ही स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए। सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे 'नो फ्रिल' खाते का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, साथ ही इस बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी दें और उसमें सुविधाओं और प्रभारों के बारे में स्पष्ट तरीके से बताएं। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों ने रिज़र्व बैंक को सूचित किया कि उन्होंने बुनियादी बैंकिंग का 'नो फ्रिल' खाता शुरू कर दिया है। इसके अलावा, उन विदेशी बैंकों को छोड़कर जिनकी खुदरा बैंकिंग में नगण्य उपस्थिति है अन्य सभी विदेशी बैंकों ने रिज़र्व बैंक को सूचित किया कि उन्होंने 'नो फ्रिल' खाता सुविधा शुरू कर दी है।

2.143 अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2006 में यह निश्चय किया गया कि बैंकों को इसकी अनुमति दी जाए कि वे कारोबार सुग्राहक तथा कारोबार सहयोगी मॉडल के प्रयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थ के रूप में वे गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) / स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी), व्यष्टि - वित्त संस्थानों (एम एफ आइ) तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों (सी एस ओ) की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। जनवरी 2006 में जारी दिशानिदेश मुख्यतः इनसे संबंधित हैं : (i) कारोबारी सुग्राह्य तथा सहायक मॉडल के तहत पात्र संस्थाओं और गतिविधियों का दायरा; (ii) इन संस्थाओं को दिया जानेवाला कमीशन / फीस तथा अन्य शर्तें; (iii) शिकायत निवारण; और (iv) 'के वाय सी' मानदंडों का अनुपालन।

2.144 बैंकों को सूचित किया गया कि कारोबार सुग्राह्यक मॉडल के अंतर्गत बैंक की सहूलियत के आधार पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए वे एन जी ओ, किसान क्लबों, समुदाय आधारित संस्थानों, सहकारी संस्थाओं के आइटी सक्षम ग्रामीण केंद्र, डाकघर, बीमा एजेंट, अच्छी तरह काम कर रही पंचायतें, ग्राम ज्ञान केंद्र, कृषि-क्लीनिक/कृषि कारोबार केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआइसी) खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड (के वी आइ बी) इकाइयों जैसे मध्यस्थों का उपयोग कर सकते हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि कारोबारी सहायक मॉडल के अंतर्गत सोसाइटी / ट्रस्ट अधिनियम के तहत स्थापित एन जी ओ / एम एफ आइ, पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम या राज्य के सहकारिता समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियां, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत उल्लिखित कंपनियां, लोक जमा स्वीकार न करने वाली पंजीकृत एन बी एफ सी और डाकघर 'कारोबार सहायक' का काम कर सकते हैं।

2.145 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे कारोबार सुग्राह्यकों / सहायकों को उचित कमीशन / फीस का भुगतान कर सकते हैं तथा इस दर और मात्रा की अवधिक समीक्षा की जाए। कारोबारी सुग्राह्यकों / सहायकों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने में साखगत, कानूनी और परिचालनात्मक जोखिम होते हैं और इसी के मद्देनजर बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे जोखिमों पर पर्याप्त ध्यान दें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अर्थक्षम तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाने के अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी आधारित उपायों का सहारा लें।

2.146 बैंकों को सूचित किया कि कारोबारी सुग्राह्य तथा प्रतिनिधियों द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति आनेवाली शिकायतों के निपटान के लिए बैंक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करे और इस बारे में इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। शिकायत निवारण के लिए नामित अधिकारी का नाम तथा संपर्क नंबर बताया जाना अपेक्षित है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर शिकायत निवारण प्रक्रिया तथा शिकायत का जवाब देने की समय-सीमा की जानकारी देनी आवश्यक है। यदि शिकायत दर्ज करने के 60 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को बैंक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो उसके पास शिकायत निवारण के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल के पास जाने का विकल्प होगा।

2.147 इसके अतिरिक्त बैंकों को सूचित किया गया कि 'केवाईसी' मानदंडों के अनुपालन की जिम्मेदारी उनकी ही बनी रहेगी। चूंकि सुविधाविहीन तथा बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी को बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना ही उद्देश्य है, अतः बैंकों को सूचित किया गया कि समय-समय पर जारी 'केवाईसी' दिशानिदेशों के मापदंडों के अधीन वे लोचदार रवैया अख्तियार करें।

2.148 आबादी के एक बड़े भाग तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से दिसंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया कि खाता खोलने का फार्म भुगतान पर्चियां, पासबुक, आदि सहित खुदरा ग्राहकों द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली समस्त मुद्रित सामग्री त्रिभाषी रूप में अर्थात अंग्रेजी, हिंदी तथा संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए।

2.149 ग्रामीण क्षेत्र में बैंक ग्राहकों को झंझट-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 27 दिसंबर 2005 को जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के बारे में दिशानिदेश जारी किए गए (बाक्स II.23)।

2.150 पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय सेवा को और अधिक उपलब्ध करवाना तथा अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने की अनुप्रवर्तनीय कार्य योजना बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने समिति (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) जनवरी 2006 में गठित की है जो निम्न कार्य करेगी: (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग के विस्तार और ऋण उपलब्ध करवाने के बारे में की गई कार्रवाई की समीक्षा, (ii) वित्तीय सेवाओं के विस्तार में आनेवाले अवरोधों की पहचान, (iii) वित्तीय समावेशन में आनेवाले अवरोधों से निपटने और अधिक ऋण प्रवाह के लिए उपाय सुझाना, स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर प्रत्येक राज्य में उपयुक्त राज्यवार कार्य योजना तैयार करना और (iv) उपर्युक्त मामलों में संबधित मुद्दे पर विचार करना तथा उन पर उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करना।

2.151 समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2006 में प्रस्तुत की जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक वित्तीय समावेशन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेक सिफारिशें की गई हैं। समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों में (i) अगले 4 सालों में वित्तीय समावेशन कराने के विचार से बैंक प्रति माह प्रत्येक शाखाओं में कम से कम 50 परिवारों के 'नो फिल्स' खाते खोलने के लिए योजना बनाएं (ii) बैंक, बैंक रहित स्थानों से बैंकिंग प्राप्ति लेनदेन करने के लिए बैंक /स्व-सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम और कारोबार प्रतिनिधि / कारोबार सहायक मॉडल तथा आइ.टी. आधारित समाधान, (स्मार्ट कार्ड आधारित और मोबाईल भुगतान समेत) का अधिक सहारा लें, (iii) सरल वैकल्पिक व्यवस्था जैसे समूह/ स्थानीय जनजाति निकायों /किसानों क्लबों / ग्रामीण विकास बोर्डों से भूमि कब्जा प्रमाणपत्र, उधारकर्ता द्वारा भूमि पर खेती करने के अधिकार के संबंध में अपनाया जाए, इसके कारण, सामुदायिक स्वामित्व अहस्तातंरणीय अधिकार के बतौर जमिन को रखने में समस्याएं आती हैं, स्थान विशेष पर आधारित कार्यकलापोंवार कार्य योजनाओं को लागू करना, कृषि/ सहबद्ध कार्यकलापों और लघू और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण बढ़ाना, (v) मानव संसाधन प्रबंधन के लिए तदर्थ प्रोत्साहन पैकेज के बजाए निष्पादन आधारित नकदी प्रोत्साहन व्यवस्था लाने (vi) क्षेत्र में मुद्रा प्रबंध और भूगतान/निपटान प्रणाली में सुधार लाने की सिफारिशें शामिल की हैं।

2.152 रिज़र्व बैंक के गवर्नर और उत्तरांचल के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के अनुसरण में उत्तरांचल में बैंकिंग सेवाओं से संबंधित समस्याएं/ मुद्दे की जांच के लिए कार्यकारी समूह (अध्यक्ष श्री वी.एस.दास) 22 मई 2006 को गठित किया गया जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करना था। (बॉक्स II.24)

2.153 बैंकिंग क्षेत्र किसी देश के आर्थिक विकास में, बचत का संग्रहण करके तथा उनका दक्षतापूर्वक आबंटन करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परंतु भारत में बैंकिंग की पहुंच बहुत कम रही है। राज्यों में भी हर तरफ बैंकिंग की पहुंच में बहुत अंतर रहा है। देश में बैंकिंग की पहुंच को और अधिक करने के लिए और उसके लिए उपाय सुझाने के विचार से गहन अध्ययन करने के लिए कार्य समूह (अध्यक्ष श्री जनक राज) गठित किया गया है। अनुमान है कि समूह अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2006 तक प्रस्तुत कर देगा।

बाक्स II.23: जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना

आजकल क्रेडिट कार्ड जबरदस्त तरीके से जारी किए जा रहे हैं और क्रेडिट पर सामान और सेवाओं की खरीद तथा नकदी आहरण के लिए लोग-बाग इनका उपयोग भी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि सीमित विक्रय केंद्रों (पी ओ एस) और ए टी एम की सीमित सुविधाओं के कारण इस तरह के उत्पाद उपयुक्त नहीं हैं, इसी कारण यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) की तरह के जनरल क्रेडिट कार्ड (जी सी सी) की मांग है। अतः बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को अपनी किसी भी शाखा में जी सी सी योजना शुरू करने की अनुमति दी गई ताकि वे सामान्य क्रेडिट कार्ड पर लागू आय और घरेलू नकदी प्रवाह के मूल्यांकन की स्थिति के आधार पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के अपने घटकों को जी सी सी उपलब्ध करा सकें।

इस योजना का उद्देश्य है कि प्रतिभूति, उद्देश्य या ऋण के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना ही सिर्फ नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर बैंक के ग्राहकों को झंझट मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके। यह अंतिम उपयोग निर्धारण के बिना ही ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जी सी सी कार्ड धारक अनुमोदित सीमा तक की राशि बैंक की निर्दिष्ट शाखा से आहरित कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि जी सी सी खरीदारी से संबंद्ध हो और यह भी आवश्यक नहीं है कि जी सी सी कार्ड के रूप में हो। यदि जी सी सी धारक बैंक शाखा से नकदी आहरण का इच्छुक है तो जी सी सी पास बुक के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

आय के मूल्यांकन और समस्त घरेलू नकदी प्रवाह के आधार पर सीमा निर्धारण की लोच बैंक के पास होगी तथापि, जी सी सी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की ऋण सीमा 25,000 रुपए से अधिक न हो तथा इस सुविधा पर वह ब्याज दर लगाई जाए जो उचित और तर्कसंगत हो। इस सीमा की आवधिक समीक्षा की जाए तथा खाता धारक के ट्रैक रिकार्ड के आधार पर इसे संशोधित / रद्द किया जा सकता है। पात्रता मानदंड समीक्षा के अधीन रहेंगे, बैंक ऋण के हिताधिकारी के रूप में महिलाओं को लक्षित करने के उद्देश्य से जीसीसी योजना में इन्हें वरीयता दी जाए। जी सी सी जारी करने के लिए उधारकर्ताओं के स्रोत के लिए बैंक स्थानीय डाकघर, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय सरकारी कार्यकर्ताओं, किसानों के एसोसिएशन / क्लब, अच्छी तरह स्थापित समुदाय आधारित एजेंसियों और सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

जी सी सी के तहत 25,000 रुपए तक के बकाया ऋण का पचास प्रतिशत कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त पोषण माने जाने के लिए पात्र होगा।

बॉक्स II.24 : उत्तरांचल में बैंकिंग सेवाएं सुधारने के संबंध में कार्यदल

इस दल (अध्यक्ष : श्री वी.एस. दास) की प्रमुख सिफारिशें - टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- निवेश ऋण में धीमापन है जिसकी वजह से कृषीय उधारकर्ताओं की ऋण अवशोषण क्षमता प्रभावित हुई है और परिणामस्वरूप फसल ऋणों की वृद्धि भी प्रभावित हुई है। बैंकों का चाहिए वे किसानों की निवेश और उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समन्वित करें और अपने निवेश ऋण बढ़ाएं।
- छोटी-छोटी और इधर-उधर फैली जोतों की बड़ी संख्या को देखते हुए बैंकों को समूह (क्लस्टर) वित्त पोषण अपनाने की आवश्यकता होगी और तदनंतर मुख्य समूह के चारों और उपसमूह विकसित किए जा सकते हैं।
- कृषि कार्यों में लगी महिलाओं को देखते हुए एक उचित व्यवस्था बनानी होगी ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से उधार ले सकें।
- सुविधा वंचित आबादी को 100 प्रतिशत वित्तीय रूप से बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में समावेश करने के उद्देश्यों से प्रत्येक बैंक तीन वर्षीय अवधि के भीतर हर महिने कम से कम 25 नए परिवारों को कवर करेगा और उन्हें मौलिक बैंकिंग सुविधाओं वाले 'नो फ्रिल्स' खाते उपलब्ध कराने के साथ सीधे ही अथवा स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) के माध्यम से सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) / किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करेगा।
- बैंकों को बीमा, विपणन और परामर्शी सेवाओं के माध्यम से अपनी वित्तीय समावेशन सेवाओं में ऋण और उसके अतिरिक्त भी सेवाएं देने वाला (क्रेडिट प्लस) दृष्टिकोण अपनाना होगा।
- ग्राहकों के लिए बैंक शाखा पहुंचने में लगने वाले समय, दूरी और लागत पर विचार करते हुए, विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकों को स्कूल अध्यापकों, डाकियों, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय व्यक्तियों के साथ-साथ एनजीओ / एमएफआई / सीएसओ जैसी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करके बैंकिंग सेवाएं न पाने वाले व्यक्तियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कारोबार सुविधादाता और कारोबार संवाददाता माडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- लोगों की डाक घरों और डाकियों के साथ विश्वसनीय संबंधों को देखते हुए बैंक वित्तीय समावेशन के 100 प्रतिशत के अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र माडल की तर्ज पर डाक घरों को अपने कारोबार के संवाददाता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा होगा।
- दूर-दराज के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने में तथा बैंकिंग सुविधाओं के प्रति उनमें जागरुकता लाने के उद्देश्य से मीडिया, अखबारों, रोड शो, नुक्कड़ नाटकों, बड़े त्योहारों के दौरान दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति (एस एल बी सी) के संयोजक बैंक सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और राज्य सरकार की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं।
- ग्राम पंचायतों को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए ताकि वे (i) क्षेत्र में सेवा देने वाले बैंक और ग्राम निवासियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए प्रत्येक ग्राम में बैंकिंग सेवा सुविधादाता के रूप में कार्य कर सकें और (ii) और बैंकिंग सेवा संवर्धन करके तथा ग्राम निवासियों की बचत और ऋण आवश्यकताओं को हल कर सकें।
- बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को आधारभूत वित्तीय सेवाएं देने वाली वित्तीय इकाईयों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधार कंपनी वाला वित्तीय सूचना नेटवर्क आपरेशन (फिनो) माडल का उपयोग दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को अधिकाधिक पहुंचाने के लिए अपनाया जा सकता हैं। प्रायोगिक आधार पर इन कार्यक्रम को संचालित कर रहे पांच जिलों में फिनो ने पहले ही अपनी सेवाएं प्रदान कर दी हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए स्टाफ आवश्यकताओं वाले मामलों में प्रायोजक बैंक से पूर्वानुमोदन लेने की अपेक्षा समाप्त की जा सकती है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ मामलों सहित अपनी स्वयं की परिचालन नीतियां बना सकते हैं। स्टाफ भर्ती को लंबित रखते हुए स्टाफ की कमी की समस्या संबद्ध प्रायोजक बैंक से प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ लेकर दूर की जा सकती है।
- राज्य में विदेशी मुद्रा कारोबार का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा रखने वाले बैंक सभी जिला मुख्यालयों और अन्य ऋण रणनीतिक स्थानों पर विदेशी मुद्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था बना सकते हैं।

9. भुगतान और निपटान प्रणालियां :

2.154 वित्तीय स्थायित्व के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली का सुगमतापूर्वक कार्य करना अनिवार्य है। इसलिए रिज़र्व बैंक ने देश में सुदृढ़ भुगतान और निपटान प्रणाली का विकास करने के लिए समय- समय पर अनेक उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान की गई पहल में (i) तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) का उपयोग बढ़ाना, (ii) इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली द्वारा लेनदेन की लागत को घटाने के लिए प्रोत्साहन मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;(iii) भुगतान प्रणाली के लिए कानूनी बुनियादी ढांचे में सुधार; (iv) खुदरा भुगतान के लिए देश व्यापी भुगतान प्रणाली लागू करना; (v) अंतरराष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं में सुधार तथा (vi) भुगतान और निपटान के लिए नए रास्ते को सुविधाजनक बनाना शामिल है (विवरण के लिए अध्याय III का खंड 7 देखें)।

2.155 भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड (डीपीएसएस), रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में मार्च 2005 को स्थापित किया गया था। भुगतान और निपटान प्रणाली के बारे में नीति संबंधी निदेश देनेवाला यह एक शीर्ष निकाय है। भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड जोकि अपने गठन से अब तक 6 बैठकें कर चुका है, ने नीति संबंधी महत्वपूर्ण निदेश/ निर्णय किए हैं। उनमें शामिल हैः (i) तत्काल समय भुगतान प्रणाली के उपयोग (ii) भुगतान प्रणाली के ऊपर अक्सर पूँछे जानेवाले प्रश्न प्रकाशित करना (iii) इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के लिए बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों का प्रकाशन (iv) देश में सभी खुदरा भुगतान के लिए एक व्यापक संगठन गठित करना (v) भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक को अंतिम रूप देना तथा (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण नियमावली बनाना।

2.156 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस) के उपयोग की नामे और जमा दोनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। परंतु, नामे क्लियरिंग अधिक तेज गति से बढ़ रही है। इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा की पहुंच में वृद्धि हो रही है और अब यह 58 केंद्रों पर उपलब्ध है। नवम्बर 2005 में बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित की गई भुगतान प्रणालियों जैसे तत्काल समय सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस); इलेक्ट्रानिक समाशोधन पणाली (इसीएस); इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (इएफटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) का अविलंब उपयोग करने के लिए सलाह दी गई। तत्काल समय सकल भुगतान प्रणाली में सहभागी होने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरे करनेवाले बैंकों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण में सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ आधुनिकतम इलेक्ट्रोनिक समाशोधन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीकृत आंकड़े प्रस्तुतीकरण प्रणाली के साथ अधिक शाखाओं और स्थानों को शामिल करते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी बैंकों समेत) को सूचित किया गया कि वे परियोजना के लिए अपनी स्थिति को दर्शाते हुए 27 जून 2006 तक कुछ जानकारी दें। इस बारे में आगे और प्रयास करने के लिए, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 4 जुलाई 2006 को निदेश दिया गया कि इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली (नामे) लेनदेन के संबंध में उपयुक्त मैनडेट प्रबंध रूटीन को शामिल करने के लिए पहल करें। 17 अक्तूबर 2005 को जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, बैंकों को सूचित किया गया था कि ग्राहकों को उनकी पासबुक/खाता विवरणी में की गयी जमाराशियों के बारे में विवरण इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि तत्काल समय सकल भुगतान / संरचित निदेश समाधान /विशेष इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण / इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली के ढांचे पर आधारित उत्पादों के लिए दी जानेवाली सेवाओं की कीमत की जानकारी प्रस्तुत करें। 14 जून 2005 से इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण, विशेष इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण और इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली सुविधा के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रोनिक लेनदेन के अभिसंस्करण 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक को 31 मार्च 2007 को समाप्त अवधि तक के लिए माफ कर दिया गया। यह माफी रु. 2 करोड़ से कम के लेनदेनों के लिए दी गई मौजुदा माफी के अतिरिक्त है।

2.157 नवम्बर 2005 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण को चालू किया जाना राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान प्रणाली को प्रचालित करने/स्थापित करने की दिशा में प्रमुख कदम था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण सरक्षित नेटवर्क है जो संरचित विदेशी संदेश समाधान के संदेश के प्रारूप को सार्वजनिक पूंजी ढांचा (पीकेआई) के साथ इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क द्वारा खुदरा इलेक्ट्रोनिक भुगतान प्रणाली होती है। सभी विशेष इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण समाशोधन बैंकों को सूचित किया गया था कि 15 दिसंबर 2005 तक राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली अपना ले। राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण के कार्यान्वयन के साथ विशेष इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण प्रणाली फरवरी 2006 से बंद कर दी गई।

2.158 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया कि केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस) को अपनाया जाए जिससे बैंकों को रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में अपने खातों में निधियों के अंतरण की सुविधा मिल जाएगी।वर्तमान में, यह प्रणाली केवल 6 केंद्रों नामतः मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूर भी उपलब्ध है। इस प्रणाली में 2 नये केंद्रों को शीघ्र ही शामिल किए जाएंगे।

2.159 रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय निपटान प्रणाली (एनएसएस) को कार्यान्वित करने का विचार किया है जिससे बैंकों को बेहतर चल निधि प्रबंध में आसानी होगी। एक केंद्र पर देश भर में समाशोधन के निपटान के बारे में राष्ट्रीय निपटान प्रणाली की व्याख्या करने वाला एक अवधारण पत्र तैयार किया गया। इस बारे में बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच चल रही है और यह सुविधा का कार्यान्वयन जल्दी ही शुरू किया जाएगा। शुरुआत में, राष्ट्रीय समाशोधन प्रणाली के माध्यम से चारों महानगरों में समाशोधन राशि की निपटान राष्ट्रीय निपटान प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा। दूसरे चरण में, दूसरे बड़े शहरों में समाशोधन का निपटान राष्ट्रीय समाशोधन निपटान प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा।

2.160 कागज आधारित प्रणाली की दक्षता में और सुधार लाने के लिए जिन केंद्रों में 30 से ज्यादा बैंक हैं वहां समाशोधन परिचालनों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए योजना तैयार की गई है (उन 59 केंद्रों के अलावा जहां पर माइकर चेक अभिसंस्करण पहले ही स्थापित किया जा चुका है)। कुछ केंद्रों ने पहले ही चुंबकीय मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएमबीसीएस) का उपयोग करके समाशोधन गृहों के परिचालनों को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत, सदस्य बैंक इलेक्ट्रोनिक फाइल के रूप में अपना दावा प्रस्तुत करते हैं जो कि कंप्यूटर पर अभिसंस्करित किया जाता है। इससे 15 मिनट के भीतर निपटान के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं जबकि मैन्युअल प्रणाली से इस काम को 3 या 4 घंटे लगते हैं।

2.161 माइकर चेक अभिसंस्करण केंद्रों के लिए परिचालन संबंधी दक्षता के न्यूनतम मानक बनाए गए हैं जिससे माइकर चेक अभिसंस्करण केंद्रों का सुगम परिचालन सुनिश्चित किया जा सकता है। ये मानक मुख्य रूप से लिखतों को इनकोड करने, समय अनुसूची परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं, ऑन लाइन अस्वीकृत मरम्मत

(ओएलआरआर) की गति और उसकी शुद्धता, निरीक्षण संबंधी संकेतों के लिए निपटान रिपोर्टों की जांच, बैंकों को ऑन लाइन रिपोर्ट/ डाटा डाऊनलोड करने की सुविधा, मिलान और कारोबार निरंतरता योजना के बारे में हैं। माइकर चेक अभिसस्करण केंद्रों के लिए परिचालन संबंधी दक्षता के न्यूनतम मानकों के पालन की 'स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट' रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत करनी होगी।

2.162 चेक छांटने की प्रणाली (सीटीएस) का कार्यान्वयन दूसरा प्रयास है जो कि कागज आधारित प्रणाली की दक्षता में सुधार लाएगी। देश के राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिसंबर 2006 के अंत तक अग्रणी परियोजना के रूप में शुरू की जानेवाली चेक छांटने की प्रणाली बाद में संपूर्ण देश में फैलाई जाएगी। उसके अंतर्गत कागज आधारित लिखत प्रस्तुतकर्ता बैंक तक ही सीमित रहते हैं। यह बैंकों के ऊपर निर्भर करता है कि वे चेक छांटने का बिंदू शाखा स्तर पर अथवा सेवा शाखा स्तर पर अथवा गेटवे स्तर पर करने का निर्णय कर सकता। चेक छांटने की प्रणाली से बैंकों को भुगतान के लिखतों को संभालने में आसानी होती है। ग्राहकों को भी चेक की वसूली जल्दी होने से लाभ मिलता है। बैंक और ग्राहक दोनों लोग लेनदेन की लागत में कमी के अलावा, चेक छांटने की प्रणाली को पूरी तरह से कार्यान्वयन हो जाने से टी+1 समाशोधन चक्र (टी+0 भी) का स्तर प्राप्त किया जा सकेगा क्योंकि चेक छांटने की प्रणाली सीधे ही अभिसंस्करण प्रणाली से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त, चेक छांटने की प्रणाली के अनुसार, बैंकों को यह अतिरिक्त किस्म का लाभ मिलता है कि उनकी मिलान संबंधी समस्याओं में कमी हो जाती है और समाशोधन संबंधी धोखाधड़ी की घटनाएं भी कम हो जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के पास यथासमय वांछित बुनियादी ढांचा तैयार है, हाडवेयर/संप्रेषण की वांछनियता के बारे में विस्तृत दिशा निदेश जारी किए गए थे।

2.163 जैसा कि भुगतान प्रणाली विजन 2005-08 में इंगित किया गया कि भारतीय बैंक संघ ने कार्य समूह गठित किया है जो खुदरा भुगतान प्रणाली के परिचालनों की देखरेख के लिए अलग से सत्ता गठित करने के लिए सिफारिश करेगा। उसकी सिफारिशों के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कंपनी गठित की जा रही है।

2.164 बैंकों द्वारा स्थापित भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेनों के समाशोधन के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सरकारी प्रतिभूतियों के समाशोधन का कार्य करता है जबकि प्रतिभूतियां और निधि दोनों के निपटान का कार्य रिज़र्व बैंक में होता है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड सभी लेनदेनों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है और प्रतिभूतियां तथा निधियों दोनों की राशियों के लिए गारंटी देता है। भुगतान निपटान का सुपुर्दगी बनाम भुगतान -III तरीका अपनाया गया है जिससे प्रतिभूति और निधि राशियों का निवल आधार पर निपटान होता है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड निपटान के दिन व्यापार के निपटान की गारंटी देता है जो केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में 'नोवेशन' की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक व्यापार के लिए होती है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का दूसरा बड़ा कार्य विदेशी मुद्रा का समाशोधन है। सदस्यों के बीच में किए गए प्रत्येक पात्र विदेशी मुद्रा करार नवीकृत हो जाते हैं और उन दो नए करारों - भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड और दोनों पक्षों में से प्रत्येक पार्टियों के साथ क्रमशः किए गए करार उसका स्थान लेते हैं। रुपया वाला भाग का निपटान सदस्य के रिज़र्व बैंक में रखे गए चालू खाते के माध्यम से और अमरीकी डॉलर वाला हिस्सा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड में न्यूयार्क में स्थित निपटान के लिए नामित बैंक में रखे गए खातों के माध्यम से किया जाता है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से निपटान के कारण सकल डॉलर वांछनीयता में 90 प्रतिशत से अधिक तक कमी आई है।

2.165 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं को भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (आइएफएससी) आबंटित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मार्च 2006 में सूचित किया गया था। यह भी निर्णय किया गया था कि शाखाओं के भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट माइकर बैंड के ठीक ऊपर विशेष रूप से चेक के क्रमांक के ऊपर, मुद्रित किया जाए। जुलाई 2006 में निर्णय किया गया था कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा देने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने पर रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

विप्रेषण सेवाएं

2.166 सीमा पारीय प्रेषणों में विदेशों में रहनेवाले कामगारों द्वारा अपने देशों में परिवारों को भेजे जानेवाले प्रेषणों की प्रमुखता है। परंतु विदेशों में रहनेवाले कामगारों की कम आय की तुलना में और छोटी रकम के कारण प्रेषण की लागत महंगी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की भुगतान और निपटान प्रणाली समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए कार्य दल गठित किया गया था। कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर भुगतान और निपटान प्रणाली समिति ने अंतरराष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं के लिए सामान्य सिद्धांतों पर परामर्शी रिपोर्ट मार्च 2006 में प्रकाशित की थी। सामान्य सिद्धांतों का लक्ष्य सुरक्षित और चुस्त अंतरराष्ट्रीय प्रेषण सेवाओं को उपलब्ध कराने का है। (बॉक्स II.25)।

2.167 आंतरिक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि प्राप्त प्रेषणों का प्रमुख भाग (54 प्रतिशत) पारिवारिक व्ययों के लिए खर्च किया गया था। औसतन, प्राप्त निधियों में लगभग 20 प्रतिशत बैंक

बॉक्स II.25:अंतरराष्ट्रीय विप्रेषण सेवाओं हेतु सामान्य सिद्धांतों पर परामर्शी रिपोर्ट

उक्त परामर्शी रिपोर्ट में दिये गये मुख्य सिद्धांत नीचे दिए गए हैं :

सामान्य सिद्धांत 1: विप्रेषण सेवाओं हेतु बाजार पारदर्शी होना चाहिए और ग्राहक सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 2 : विप्रेषण सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की संभावना वाले भुगतान प्रणाली ढांचें में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 3 : विप्रेषण सेवाओं को संबद्ध क्षेत्राधिकारों में एक सुदृढ़, अनुमाननीय, भेदभाव रहित और अनुपातिक रूप से कानूनी और विनियामक ढांचे के द्वारा समर्थन देना चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 4 : देशी भुगतान ढाचों तक उचित पहुंच सहित स्पर्धात्मक बाजार स्थितियां विप्रेषण उद्योग के लिए बनायी जानी चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 5 : विप्रेषण सेवाएं उचित कंपनी संचालन और जोखिम प्रबंध प्रथाओं के द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

विप्रेषण सेवा प्रदाताओं को सामान्य सिद्धांतों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। सरकारी प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इस बात का मूल्यांकन करें कि सामान्य सिद्धांतों के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकारी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में क्या कार्रवाई अपेक्षित है।

संदर्भ :

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2006) : कन्सल्टेटिव रिपोर्ट ऑन जनरल प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विसेज्, मार्च

खातों में जमा किए गए और 13 प्रतिशत भूमि संपदा / इक्विटी शेयरों में निवेश किया गया। प्रेषणों की मात्रा और प्रेषणों के भेजने की बारम्बारता के संबंध का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि दोनों में विपरित संबंध है जो कि अन्य विकासशील देशों में किए गए अनुभवजन्य अध्ययनों के निष्कर्ष के अनुसार है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रेषणों में कम समय लगनेवाले माध्यम जैसे इलेक्ट्रोनिक माध्यम/स्वीफ्ट के प्रति लोगों की रुचि थी जबकि वह चेक के माध्यम से प्रेषणों के मुकाबले महंगा पड़ता है।

2.168 अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) प्रेषणों की लागत पर कार्य समूह ने अगस्त 2006 में अपनी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को दी। समूह द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में (क) भारत में स्थित बैंक प्रभार संबंधी अपने मापदंडों, विदेशी और घरेलू दोनों केंद्रों पर, की समीक्षा करें और भारी मात्रा के लेनदेन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। (ख) बैंक मौजूदा इलेक्ट्रोनिक अंतरण सुविधा जैसे तत्काल समय सकल निपटान (आरटीजीएस) के ढांचे में सुधार करके केंद्रीकृत प्रेषण प्राप्त केंद्र (सीआरआरसी) स्थापित करें और विनिमय हेतु का विस्तार करके उसमें सुधार लाएं। (ग) भारतीय बैंक और अधिक संवाददाता बैंकों के साथ टाय-अप करने की गुजांइश का पता लगाएं जो कि विदेशी केंद्रों पर अनिवासी भारतीयों की लागत को कम करेगी। (घ) विनिमय गृहों के साथ भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा निकासी व्यवस्था की संख्या की सीमा की समीक्षा की जाए और (ड.) अनिवासी भारतीयों को सूचित किया जाए कि वे अपने प्रेषण किसी भारतीय बैंक की शाखाओं के माध्यम से अथवा भारत में शाखा वाले किसी विदेशी बैंक के माध्यम से भेजा करें। अनिवासी भारतीयों को सूचित किया जाए कि जहां तक संभव हो सके, भारत में विदेशी मुद्राओं को भारतीय रुपयों में रूपांतरित किया जाए ताकि बेहतर विनिमय दर का लाभ मिल सके।

10. प्रौद्योगिकीय और अन्य गतिविधियां

2.169 वित्तीय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) की भारी उपयुक्तता रही है।विशेष रूप से बैंक अपने दैनिक परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर कई वर्षों में बैंकों ने (क) अपनी अधिक शाखाओं में (सीबीएस) को लागू किया है ताकि 'कहीं भी बैंकिंग'की सुविधा दी जा सके। (ख) प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों को शुरू किया है जैसे मोबाईल बैंकिंग सेवा और (ग) इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का विस्तार किया है। बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण का अधिक से अधिक उपयोग करते रहे हैं ताकि इलेक्ट्रोनिक निधि चलन का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2.170 बैंकों द्वारा अधिक स्तर तक सूचना प्रौद्यागिकी के उपयोग के साथ रिज़र्व बैंक धीरे-धीरे बैंकों के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों के छोटे-छोटे मामलों में दखल देने से बचता है। उसके बजाय रिज़र्व बैंक ने दिशानिदेशों और मानकों को बनाना शुरू किया है जोकि सामान्य अंतर बैंक आवश्यकताओं से संबंधित है। वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी (एफएसटी) विजन डाक्यूमेंट - 2005-08, जुलाई 2005 में सभी बैंकों को भेजा गया। उस दस्तावेज में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसरण किये जानेवाले दृष्टिकोण का निर्देर्शन किया गया है जहां तक निकट भविष्य सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का संबंध है। विजन दस्तावेज में बैंकों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों को अपनाने में मदद की है, जो रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निदशों के अनुसार थी। उसी समय, बैंकों को एकीकृत रूप में सामान्य अंतर परिचालन योग्य प्रौद्योगिकी मानदंडों और अंतर बैंक संदेश प्रेषण के साथ में आगे रखने में सहायक हुआ है। वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज को लागू करने के निदेशों के अनुसरण में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुखों, सभी श्रेणी के बैंकों का सम्मेलन जनवरी 2006 में रिज़र्व बैंक में आयोजित किया गया था।

रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों द्वारा दी गई प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं

2.171 रिज़र्व बैंक ने नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए बैंकों को उनके कारोबार में सहायक होने के कार्य को जारी रखा। बैंकों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित की गई कुछ प्रणालियों में तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) इन्फिनेट के माध्यम से तत्काल समय सकल निपटान प्रणाली, केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा प्रबंध प्रणाली और संरचित वित्तीय संदेश समाधान प्रणाली।

2.172 तयशुदा लेन प्रणाली के सॉप्टवेयर संरचना से प्रणाली के सदस्य बैंकों के लिए बेहतर निर्गत मिलना शुरू हुआ है और अभिसंस्करण समय में कमी हुई है। वर्ष मेंजो प्रमुख प्रगति हुई है वह होस्ट के स्तर पर वैधीकरण के बजाय सदस्य के स्तर पर की जाना प्रमुख प्रगति रही है। यह प्रणाली वर्ष में सुगम तरीके से कार्य करती रही है। इस प्रणाली को स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली में परिवर्तित करने का काम पूरा हो गया है। सीसीआइएल में माड्यूल का पहला सेट अगस्त 2005 से शुरू किया गया।

2.173 तत्काल समय सकल प्रणाली अच्छी तरह से सुस्थापित हुई है और उस सुविधा का निधियों के अंतरण के लिए उपयोग, विशेष रूप से बड़ी राशि के लिए और प्रणाली के दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण प्रयोजनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती रही है। यह प्रणाली 'वाई'आकार की है और इसके उपयोग करनेवाले सदस्यों की संख्या 110 तक पहुंच गयी है जिसके द्वारा 25,000 बैंक शाखाएं तत्काल समय सकल निपटान प्रणाली के आधार पर अपनी ग्राहकों को निधियों का अंतरण कर रही हैं।

2.174 वर्ष के दौरान समाशोधन आंकड़ों का प्रेषण चेक समाशोधन और इलेक्ट्रोनिक चेक समाशोधन दोनों के लिए अनेक केंद्रों पर सुरक्षित व्यवस्था के माध्यम से किया गया। इसके अलावा, एकीकृत मुद्रा तिजोरी परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) के अंग के रूप में मुद्रा तिजोरियों से प्राप्त निविष्टियों की औसत स्थिति सुरक्षित व्यवस्था के माध्यम से की गई। सुरक्षित इंटरनेट वेबसाईट को केंद्रीकृत आंकड़ा प्रबंध प्रणाली (सीडीबीएमएस) तक विस्तारित किया गया और वाणिज्यिक बैंकों को एसटीपी आधारित प्रविष्टि के लिए समाशोधन आंकडों तक पहुंच दी गई। बैंकिंग लोकपाल के लिए सितम्बर 2005 में विकसित की गई सॉफ्टवेयर प्रणाली भी जानकारी के प्रसारण के लिए सुरक्षित वेबसाईट का उपयोग करती है। इस प्रणाली से न केवल विभिन्न केंद्रों पर स्थित बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय द्वारा शिकायतों का अनुप्रवर्तन करने में सहायता मिलती है बल्कि उससे रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय भी शिकायतों का अनुप्रवर्तन कर सकता है।

बैंक और सूचना प्रौद्यागिकी आधारित सुपुर्दगी व्यवस्था

2.175 पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था और इंटरनेट बैंकिंग कार्यकलापों में भारी वृद्धि देखने में आई है। नई सुविधा उपलब्ध करायी है, उनमें (i) उसी बैंक में अन्य पक्ष के ग्राहक खातों में निधि अंतरण का विकल्प देना; (ii) अन्य बैंकों में निधि अंतरण ; (iii) उपभोक्ता बिल भुगतान और अन्य नियमित आवधिक व्यवस्था; और (iv) इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स लेनदेन के साथ जैसे रेल और हवाई जहाज की टिकटों का आरक्षण के साथ एकीकरण शामिल है।

2.176 बैंकों को जुलाई 2006 में सूचित किया गया था कि वे इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रोनिक बटवा योजना में शामिल हो जाएं। क्योंकि ये जमा राशि स्वीकार करने और मांग पर निकासी के स्वरूप का है।

2.177 मोबाईल बैंकिंग एक अन्य प्रकार का कार्यकलाप है जो कि पांव जमा रहा है। ग्राहकों के लिए सुविधाजनक सेवाएं संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस) के माध्यम से सतर्क करने से लेकर मोबाईल आधारित अनुदेश भी शामिल किए जा रहे हैं जिनका वित्तीय क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव होगा। सुपुर्दगी व्यवस्था जैसे इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के कारण सुरक्षा के बारे में कुछ चिंताएं जरूर पैदा हो रही हैं। (बॉक्स II: 26)

इन्फीनेट संबंधी गतिविधियां

2.178 भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फीनेट) बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक की अंतर बैंक भुगतान प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक सूचना भेजने का पसन्दिदा संचार का माध्यम बना रहा। अंतर कार्यालय संचार के लिए भी इन्फीनेट का उपयोग किया जा रहा है। इन्फीनेट संरचित वित्तीय संदेश समाधान (एसएफएमएस) का इस्तेमाल करता है जो कि विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाईटी (स्विफ्ट) के समान संदेश अभिसंस्करण प्रणाली है। संरचित वित्तीय संदेश समाधान (एसएफएमएस) सार्वजनिक पूंजी ढांचा (पीकेआइ) द्वारा संचालित होता है ताकि उच्चतम स्तर की सुरक्षा और संरक्षित और सुरक्षित अंतर बैंक वित्तीय संदेशों का अंतरण किया जा सके और देश के कानून जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ मेल भी हो जाए। संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली आधारित संदेश एसटीपी की वांछनियता के साथ मेल खा सकता है ताकि मानव के बहुत काम अथवा शून्य हस्तक्षेप से शीघ्रता से सुरक्षित और संरक्षित अभिसंस्करण सुनिश्चित किया जा सके। इन्फिनेट व्यापक क्षेत्र वाला जमिनी और सैटेलाइट (व्ही-सेट) का उपयोग करने वाला सेटेलाइट आधारित मिश्रित नेटवर्क है। जमिनी सम्पर्क पट्टावाली ऑप्टिकल फाइबर मार्ग बैंडविद के साथ उपलब्ध कराई गई है। इस नेटवर्क का परिचालन बैंकिंग प्रौद्योगिकी में बैंकिंग तकनीक विकास अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) द्वारा किया जाता है जोकि आभासी नेटवर्क

बॉक्स II.26 : डिलिवरी चैनलों में सुरक्षा

विगत कुछ वर्षों में भारत में बैंकिंग के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन दिखाई दिए हैं। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए कार्यान्वित किए गए टेक्नोलॉजी आधारित डिलिवरी चैनलों में से कुछ नए चैनलों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कार्ड आधारित निधि अंतरणों का समावेश है। इन सभी उत्पादों में सूचना के प्रसार का निहित माध्यम सामान्यतःउपलब्ध एकदम कम खर्चीला और जन उन्मुख माध्यम है, इंटरनेट या मोबाईल टेलिफोनी।

वित्तीय लेनदेनों हेतु सुरक्षा के उच्चतम स्तर की आवश्यकता को देखते हुए टेक्नोलॉजी आधारित लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाने के कार्य ने महत्व प्राप्त कर लिया है। रिज़र्व बैंक ने 2001 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे जो अभी भी बैंकों के लिए अपेक्षाओं का एक आधारभूत सेट बने हुए हैं जब भी वे अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं तब इनका अनुपालन किया जाता है। तथापि, प्रणालियों को तोड़कर उनमें घुसने के आवांछित प्रयासों में बढ़ोत्तरी के साथ जुड़ी प्रौद्योगिकीय गतिविधियों से ऐसी प्रणालियों में कार्यान्वित की गयी सुरक्षा की सतत समीक्षा की आवश्यकता पैदा हुई है।

इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहक के विश्वास को बढ़ाने के लिए बचावपरक जासूसी और नियंत्रक उपायों का एक सेट जरूरी हो गया है। यूजर आइडी और पासवर्ड जैसे आधारभूत सुरक्षा विशेषताओं के अलावा फायरवाल, प्रॉक्सी सर्वर और ग्राहक के पास रहने वाले पहचान उपकरणों (डिवाइस), जैसे अन्य सुरक्षा सुविधादायी सेवाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण (अथंटिकेशन) एक अन्य मौलिक आवश्यकता है जिसे एनक्रिप्शन आधारित पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई), बायोमीट्रिक तथा/ अथवा अन्य उपकरणों के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विश्वास, जोकि प्रतिष्ठित स्वतंत्र थर्ड पार्टियों द्वारा लेनदेनों/संदेशों की प्रामाणिकता/वास्तविकता की पुष्टि करके हासिल किया जाता है, को भारतीय संदर्भ में डिजिटल सिग्नेचर्स के प्रयोग द्वारा हासिल किया जा रहा है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रमाणन/ पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं। नॉन-रेपुडिएशन जो इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के प्रेषक अथवा प्राप्तकर्ता द्वारा अस्वीकरण अथवा खंडन और गोपनीयता को बचाता है तथा उपलब्धता ऐसी चीजें हैं जो ग्राहक के विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इंटरनेट बैंकिंग के प्रस्तावों में साइटों के नियमित अवधिक परीक्षणों, प्रदत्त एक्सेस सुविधाओं, इस प्रक्रिया से जुड़े कार्मिकों का लेखाजोखा और सर्विस एक्सेस के प्रकारों के एक विहंगावलोकन जैसे अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण पहलुओं के अलावा विश्वसनीयता, वायरस का पता लगाना और बचाव, आपदा राहत प्रबंधन तथा कारोबार निरंतरता योजनाओं जैसी अन्य अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना होगा।

मोबाईल बैंकिंग और घर पहुंच सेवाओं के लिए संभावित सुरक्षा जोखिमों के लिए हाल ही में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं : (i) ग्राहक पहचान मॉड्यूल (सिम) प्रमाणीकरण आधारित स्मार्ट फोन एक्सेस; (ii) सिम में संग्रहीत उपयोगकर्ता के नाम/पासवर्ड पर आधारित प्रमाणीकरण के आधार पर रेडिओ फ्रिक्वेंसी पहचान (आरएफआइडी); (iii) यूजर नेम/ पासवर्ड के साथ कम्प्यूटर आधारित एक्सेस और (iv) मोबाईल फोन के माध्यम से कंप्यूटर आधारित एक्सेस।

(वीपीएन) का सार्वजनिक नेटवर्क के ऊपर उपयोग करने के विकल्प में संतुलन बिठाकर काम करता है। भारत में बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अंतर शाखा संचार के लिए अपने खुद के नेटवर्क का उपयोग करें - इंटरनेट आधारित सुपुर्दगी व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण भारत में बैंकों में आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) पैर जमा रहा है। कुछ बैंकों ने आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करके अपना निजी कार्पोरेट नेटवर्क स्थापित किया है। वर्ष के दौरान दूसरा उल्लेखनीय लक्षण आभासी निजी नेटवर्क के व्यापक उपयोग के साथ स्वीफ्ट से आइटी आधारित नेटवर्क की तरफ जाना था। इससे बैंकों में आत्मविश्वास का स्तर काफी बढ़ा है। (बॉक्स II.27)।

बॉक्स 2.27 : आभासी निजी नेट वर्क

नेट वर्क आधारित संचार और अभिकलन आज की आवश्यकता हो गई है। एक समय जब उपयोगकर्ता अपने निजी नेटवर्क लगाते थे, तबसे अब इंटरनेट सबसे ज्यादा पसन्दिदा इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम बन गया है। केंद्रीकृत अभिसंस्करण प्रणाली की ओर झुकाव, इंटरनेट का बहुत बड़े पैमाने पर विकास तथा कम लागत के कारण, सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग बढ़ा है। यह उपलब्धता वांछित सुरक्षा में वृद्धि के साथ हुई है।

आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) सार्वजनिक संचार का वह नेटवर्क है जोकि इलेक्ट्रोनिक सूचना भेजने के लिए इंटरनेट को माध्यम के रूप में अपनाता है। आभासी निजी नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क के भीतर निजी नेटवर्क है जो कि दूरस्थ साइटों अथवा उपयोगकर्ता को एक साथ जोड़ता है। यह आभासी निजी नेटवर्क सदस्यों के बीच में संदेशों को कॅप्सूल के रूप में भेजने की सुविधा देता है ताकि किसी गैर-प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उस संदेश तक पहुंच संभव न हो। इस प्रकार, वीपीएन की विशेषता उसकी सुरक्षा व्यवस्था है। किसी आभासी निजी नेटवर्क में पूंजी पहचानकर्ता ऐसे नेटवर्कों में सुरक्षा ग्राफ के लिए क्रिप्टोग्राफिक टनलिंग प्रोटोकोल का उपयोग किया जाता है ताकि यह आवश्यक गोपनियता, प्रेषक प्राधिकार, वांछित निजीता को बनाए रखा जा सके । जब उपयुक्त ढंग से चुनाव करके उसको लागू किया जाए और कोई उपयोग में लाया जाए तो ऐसी तकनीक असुरक्षित नेटवर्क में सुरक्षित संचार सुनिश्चित कर सकती है। ऐसी सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाता के बीच परिभाषित सेवा स्तर करार (एसएलए) द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

आभासी निजी नेटवर्क अपनाने के लाभों में कुछ इस प्रकार हैं जैसे बड़े भूक्षेत्र में विस्तार, वर्धित सुरक्षा, कम लागत, संदेशों के अंतरण में शक्ति से प्रेषित करने के लिए कम समय और अपेक्षाकृत सरल नेटवर्क संरचना शामिल हैं।

सुसंरचित और लागू किए गए आभासी नेटवर्क में प्रमुख अनिवार्य विशेषताएं सुरक्षा/विश्वसनीयता नेट वर्क प्रबंध शामिल होते हैं । आभासी निजी नेटवर्क के 2 हिस्से हैं: (i) संरक्षित या 'आंतरिक' नेटवर्क जो कि प्रेषण को भौतिक तथा प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करता है और (ii) कम विश्वसनीय 'बाह्य'नेटवर्क अथवा खंड जो कि सामान्यतया इंटरनेट है। सामान्यतः दूरस्थ उपयोगिता के कार्यस्थल (वर्क स्टेशन) की अथवा 'क्लाइंट और होस्ट सर्वर के बीच एक फायर वाल स्थित होती है। वित्तीय प्रणाली निजी नेटवर्क का एक उदाहरण 'स्विफ्ट'है जो कि सुरक्षा इलेक्ट्रोनिक संदेशों को आभासी निजी नेटवर्क का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है।

11. बैंकिंग क्षेत्र में कानूनी सुधार

2.179 दक्ष वित्तीय पणाली के लिए सुपरिभाषित उद्देश्यवाला विनियामक ढांचा, पर्याप्त और स्पष्ट कानूनी ढांचा तथा पारदर्शी पर्यवेक्षी प्रक्रियावाले ढांचे की जरूरत होती है। विनियामक प्राधिकारी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने हेतु गहन सांविधिक व्यवस्था पूर्व आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक बदलते माहौल के साथ तालमेल करते हुए निरंतर कानूनी ढांचे में उन्नयन तथा उसको सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता रहा है। रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षो में अनेक उपायों की पहल की है।

संसद द्वारा हाल में बनाए गए अधिनियम

2.180 मौद्रिक प्रबंध करने और परिचालन संबंधी लोच, नीति संबंधी उपकरण के रूप में रिज़र्व बैंक को अधिक शक्ति प्रदान करना जरूरी समझा गया। इसके मदेनजर संसद ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 संशोधन किया। यह संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक को बिना किसी सीमा अथवा न्यूनतम दर के नकदी आरक्षित अनुपात को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। (बॉक्स II.28)।

2.181 ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 ऋण सूचना कंपनियों के विनियमन तथा चुस्ती से ऋण के वितरण को सुविधाजनक बनाने और उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रासंगिक मामले निपटाने के लिए बनाया गया है। अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ऋण देनेवाले संस्थाओं जैसे बैंक वित्तीय संस्थाओं की ओर से मौजूदा दायित्व, अपने ग्राहकों के संबंध में कार्य व्यापार से संबंधित गुप्तता रखने संबंधी मामलों में और बैंकों और वित्त संस्थाओं को जानकारी देने में कोई कानूनी रुकावट नहीं आएगी। इस अधिनियम में ऋण सूचना कंपनी को स्थापित करने, पर्यवेक्षण और उसकें विनियमन के लिए प्रावधान है जो वसूली और व्यापार की जानकारी को समेकित करने, ऋण संस्थाओं के उधारकर्ताओं की ऋण और वित्तीय हैसियत संबंधी जानकारी रखने और उस जानकारी को विशिष्ट उपभोक्ताओं को देने के बारे में कोई कठिनाई

बॉक्स-28 : भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 - प्रमुख बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 रिज़र्व बैंक को मौद्रिक प्रबंधन के लिए लिखतों के बारे में सामर्थ्यकारी शक्त प्रदान करता है। संशोधन से रिज़र्व बैंक को प्रमुख रूप से अनुसूचित बैंकों के लिए आरक्षित निधियों की वांछनियता निर्धारित करने और मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने की व्यापक शक्तियां और लोच प्रदान करता है।

(i) *नकदी आरक्षित निधि अनुपात*

संशोधित संविदा के अंतर्गत, देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी उच्चतम अथवा न्यूनतम दर के नगदी आरक्षित निधि अनुपात का निर्धारण कर सकता है। अधिनियम में संशोधन के बाद रिज़र्व बैंक बैंकों की नगदी आरक्षित निधि अनुपात जमा शेष के किसी भाग पर कोई ब्याज नहीं देता । बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के नकदी आरक्षित निधि अनुपात में निधि रखने पर भी कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ii) रिवर्स रेपो और रेपो

अधिनियम में संशोधन से रिज़र्व बैंक को शक्ति हासिल हो गई है कि वह रेपो और रिवर्स रेपो परिचालन तथा विदेशी प्रतिभूतियां समेत प्रतिभूतियां को उधार दे सकेगा और उधार ले सकेगा ।

इस संशोधन का प्रभाव रिज़र्व बैंक द्वारा स्वयं द्वारा किए जानेवाले कारोबार पर भी पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, खंड (12 क) में जोड़ा गया खंड रिपो/रिवर्स रेपो को अनिवार्यतःसंपार्श्विक उधार लेना/उधार देना लेनदेन के रूप में और नकदी को अथवा प्रतिभूतियों को जो कि बिक्री और खरीद के लेनदेन के रूप में संरचित है, परिभाषित करता है। हाज़िर सौदे में विक्रेता से क्रेता को सुपुर्द करने में और वायदा सौदे में अपने विक्रेता को वापस सुपुर्द करने में संशोधन से पहले प्राप्त, रेपो का लेखांकन कानूनी व्याख्या के रूप में बिक्री/खरीद के लेनदेन के रूप में माना जाता था। संशोधित प्रावधान रिपो/रिवर्स रेपो एक ही लेनदेन के दो सौदों के रूप में परिभाषित करता है न कि दो अलग-अलग स्वतंत्र लेनदेनों के रूप में ।

(iii) *मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार*

संशोधित अधिनियम का नया अध्याय-(III- घ) रिज़र्व बैंक को ब्याज दरों अथवा ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति निर्धारित करने और प्रतिभूतियों का व्यापार करनेवाले एजेसिंयां, मुद्रा बाजार लिखत विदेशी मुद्रा, व्युत्पनी अथवा उसी प्रकार के अन्य लिखतों के बारे में विनियमित करने, निदेश देने और जानकारी मांगने तथा उन सत्ताओं का निरीक्षण करनें जो कि रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं संबंधी अधिकार देता है। इस प्रकार, स्टॉक एक्स्चेंज में व्यापार किए जानेवाले व्युत्पनी उत्पादों यदि अंतर्निहित उत्पाद विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, ऋण अथवा इनका मिश्रित किसी रूप का हो, तो रिज़र्व बैंक की अनुमति वांछनीय होगी। ब्याज दर फ्यूचर्स और कार्पोरेट बाँड में रेपो से संबंधित मामलों पर नीति संबंधी दिशानिदेश भी रिज़र्व बैंक की परिधि में आएंगे। संशोधन से पहले, रिज़र्व बैंक मुद्रा बाजारों और अन्य लिखतों के लेनदन को केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अंतर्गत विनियमित करता है।

(iv) *व्युत्पन्नी*

अधिनियम में नए खंड को जोड़े जाने से रिज़र्व बैंक को व्युत्पन्नी, जमा ब्याज दर, प्रतिभूतियां (विदेशी प्रतिभूति समेत), दरों अथवा कीमतों के सूचकांक, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, क्रेडिट रेटिंग अथवा सूचकांक और स्वर्ण अथवा चांदी की कीमतों, स्वर्ण अथवा चांदी की सिल्लीयां जैसा कि इसकी अंतर्निहित कीमत में परिवर्तनीय, हो के बारे में कार्रवाई करने की शक्ति की अनुमति होगी ।

इस संशोधन से ओटीसी व्युत्पन्नों को कानूनी वैधता मिलती है यदि लेनदेन का एक भी पक्ष रिज़र्व बैंक को अथवा उसके विनियामक क्षेत्र में आनेवाली कोई एजेंसीयां हो। संशोधन से पहले केवल स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार किए जानेवाली व्युत्पन्नी वैध होती थी । अन्य संविदाओं को संविदा अनियम, 1872 के अंतर्गत निपटाया जाता था।

नहीं आएगी। अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजन से नियमावली और विनियामवली सरकार के विचाराधीन है।

2.182 सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम और प्रबंध संबंधी कानून को समेकित करके संशाधित करने का प्रस्ताव है। अधिनियम में (i) सरकारी प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए फॉर्म निर्धारित करने की रिज़र्व बैंक को शक्ति देना, (ii) न्यासों द्वारा सरकारी प्रॉमिसरी नोटों को रखना (iii) एक लाख रुपए तक सरकारी प्रतिभूतियों के हक को मान्यता देने की प्रक्रिया का सरलीकरण, उक्त सीमा को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार को पॉवर देना (iv) माइक्रो फिल्म, दस्तावेजों की फॉसिमिल कॉपीज्, चुंबकीय प्लेटों और कंप्यूटर के प्रिन्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकृत किये जाने की अनुमति देना, और (v) उक्त सुविधा के दुरूपयोग करने पर सहायक सामान प्रभारी खाताधारकों को खाते की सुविधा के साथ व्यापार करने से निलंबित करना शामिल है। अधिनियम की अन्य विशेष बातों में कुछ प्रमुख बाते शामिल हैं, वे हैं : (i) सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में बंधक रखने हायपोथिकेशन, धारणाधिकार की शक्ति देना और (ii) रिज़र्व बैंक को जानकारी मांगने, निरीक्षण करने और निदेश जारी करने तथा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनको पूरा करने हेतु नियमावली बनाने की शक्ति देना शामिल है। अधिनियम को अभी लागू किया जाना है।

2.183 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) और वित्तीय संस्थाएं, कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 की प्रमुख बात बैंकिंग कंपनी तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम,1980 (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन किया जाना है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : (i) स्वामित्व के प्रतिशत के आधार पर राष्ट्रीकृत बैंकों के बोर्डों में अधिक साम्यिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बैंक की जारी पूंजी के आधार पर 1 से 6 शेयरधारियों को चुनने के मौजूदा प्रावधानों के बजाय 1 से 3 शेयरधारियों को निदेशक चुना जाना; (ii) राष्ट्रीकृत बैंकों के बोर्डों में रिज़र्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक नामित करने संबंधी अधिदेशात्मक प्रावधानों को सुधारना (iii) एक या अधिक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्ति देना (iv) राष्ट्रीकृत बैंकों के शेयरधारियों को वार्षिक आम सभा में बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट, लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र पर चर्चा करने, उसे स्वीकृत करने तथा अनुमोदित करने की शक्ति देना (v) 7 वर्ष से अधिक समय से बकाया अदावी लाभांशों को निवेशक और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में अंतरित करने की बैंकों को शक्ति देना हैं। अधिनियम में (i) रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए दिशानिदेशों के अनुसार अधिमानी शेयरों को जारी करने तथा अधिमानी आबंटन द्वारा अथवा निजी प्लेसमेंट द्वारा अथवा सार्वजनिक निर्गमों द्वारा पूंजी की उगाही करना, रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार के अनुमोदन से, राष्ट्रीकृत बैंकों को सक्षम बनाना (ii) अधिमानी शेयर धारियों को प्रत्यक्षतः अपने मतों को प्रभावित करनेवाले विकल्पों के लिए मत देने के अधिकार को प्रतिबंधित करना और अधिमानी शेयर पूंजी के शेयरधारकों को अधिकतम 1 प्रतिशत तक कुल मत देने के अधिकारों तक सीमित रखना (iii) चुने गए निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड (iv) रिज़र्व बैंक की सिफारश पर केंद्र सरकार द्वारा बोर्डों को अधिकार से वंचित कर देना और प्रशासक तथा उसको सहायता करने के लिए समिति का गठन करना शामिल है। अधिनियम 16 अक्तूबर 2006 से लागू हुआ है।

संसद में लाए गए विधेयक

2.184 बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2005 को लोकसभा में 13 मई 2005 को पेश किया गया था। इसका उद्देश्य रिज़र्व बैंक की विनियामक शक्तियों को मजबूत करने के विचार से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया जाना है। इसमें शामिल हैं : (i) अधिक मत देने के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंधों का हटाना तथा शेयरों के अभिग्रहण के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन को लेने की आवश्यकता को शुरू किया जाना अथवा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मत देने का अधिकार (रिज़र्व बैंक को शक्ति देने कि वह स्वयं इस बात से संतुष्ट हो सकें कि आवेदनकर्ता 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति है, शेयर अथवा मत देने के अधिकार के अभिग्रहण के लिए तथा कुछ ऐसी शर्त लगाने जो कि रिज़र्व बैंक उचित समझे)। (ii) सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) की न्यूनतम सीमा हटाना तथा सांविधिक चल निधि अनुपात को विनिर्दिष्ट करने - कुल मांग और मीयादी देयताओं के 40% तक - के अंतर्गत सीमा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति देना। (iii) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति के ऊपर समय-समय पर किसी भी प्रतिभूति को 'अनुमोदित प्रतिभूतियां' के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्ति प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 (क) के अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियों की परिभाषा को संशोधित करना (iv) रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियामक दिशानिदेशों के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों को अधिमानी शेयर जारी करने के लिए समक्ष बनाने हेतु अधिनियम की धारा 12 को संशोधित करना (v) रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी को निदेश देने की शक्ति प्रदान करने कि वह अपने वित्तीय विवरण में प्रकटन करें अथवा

किसी सहायक उद्यम के कारोबार के संबंध में विवरण और जानकारी को अलग से उपलब्ध कराएं तथा किसी सहायक उद्यम का निरिक्षण करवा सकें। (vi) किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को अधिक्रमित करने तथा प्रशासक नियुक्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्ति देना (vii) इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक से बिना लाइसेंस लिए प्राथमिक ऋण समितियां बैंकिंग कारोबार कर सकती है, उसके लिए अधिनियम की धारा 56 को संशोधित किया जाना और (viii) रिज़र्व बैंक को शक्ति देने कि वह लोक हित में अथवा सहकारी बैंक के हित में अथवा उसके जमाकर्ताओं के हित में किसी सहकारी बैंक की विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दे सकें।

2.185 प्रतिभूतिकृत ऋण, बंधक आधारित ऋण समेत, का व्यापार करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 लाया गया है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ (i) 'प्रतिभूति'की परिभाषा के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण प्रमाणपत्र अथवा लिखत और उस प्रयोजन के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में नया उपखंड जोड़ना शामिल है। और (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से प्रतिभूतिकरण प्रमाणपत्र या लिखत जारी करने और उसकी प्रक्रिया के बारे में अनुमोदन पर करने हेतु प्रावधान करने के लिए तथा उस प्रयोजन के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में आनेवाली धारा 17 (क) जोड़ना शामिल है।

2.186 केंद्र सरकार ने लोकसभा में सहायक बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए सहायक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक) को नियंत्रित करनेवाले कानून को संशोधित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक कानून) संशोधन विधेयक, 2006 पेश किया है। इससे सहायक बैंक बाजार से संसाधनों की उगाही कर सकें गें और इन बैंकों के प्रबंधन में भी लचीलापन आएगा।

2.187 भुगतान और निपटान विधेयक, 2006 लोक सभा में 25 जुलाई 2006 को पेश किया गया। बिल का उद्देश्य रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणाली को विनियमित करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित किया जाना है। विधेयक में (i) भुगतान प्रणाली को परिचालित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का प्राधिकरण अनिवार्य करना (ii) रिज़र्व बैंक को मानकों के निर्धारण, जानकारी मांगने, विवरणों और दस्तावजों को मांगकर भुगतान प्रणालीयों का विनियमन तथा उनका पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करना (iii) रिज़र्व बैंक को जिस परिसर में भुगतान प्रणालियां काम कर रही हैं उसमें प्रवेश करके लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने के अधिकार की शक्ति देना (iv) रिज़र्व बैंक को निदेश जारी करने की शक्ति देना (v) सहभागियों द्वारा भुगतान देय धन की रकम का निर्धारण करने, प्रतिभूतियां अथवा विदेशी मुद्रा के संबंध में निपटान के लिए तथा अंतिम निवल रकम की गणना करने और उसकी अंतिम रूप से अपरिवर्तनीयता का निर्णय करने और (vi) अन्य कानूनों को अधिक्रमित करने का अधिकार देना शामिल है। विधेयक को स्थायी वित्त समिति को संदर्भित किया गया है।